



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे (2021-22)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2021-22

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	4
03 मंत्रिपरिषद्	6
04 न्याय प्रशासन	9
05 निर्वाचन	15
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	19
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	30
08 आबकारी	53
09 लोक सेवा आयोग	55
10 पुलिस एवं जेल	57
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	67
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	91
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	103
14 सूचना	113
15 कल्याण योजनार्ये	117
16 श्रम और रोजगार	133
17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	138
18 सहकारिता	144
19 ग्राम्य विकास	147
20 सिंचाई एवं बाढ़	154
21 ऊर्जा	163
22 लोक निर्माण कार्य	167
23 उद्योग	174
24 परिवहन	182
25 खाद्य	189
26 पर्यटन	194
27 वन	199
28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य	207
29 औद्योगिक विकास	215
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	220
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	244

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2021-2022 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई	269
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण	270
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग	272
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूँजीगत प्रभाग	273
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग	274

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2021-2022 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2022 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में-

- 'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।
- 'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।
- 'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो।
- (ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है।
- (ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियां।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. विधान सभा				
दत्तमत	68,04,98	13,00,00	59,43,39	1,95,00
भारित	2,55,76	--	2,19,26	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	11,90,68	--	11,08,70	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	1,83,27,56	1,39,20,55	75,08,67	1,11,18,99
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	2,50,87,39	55,30,00	2,07,56,53	14,03,12
भारित	59,48,95	--	47,99,23	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	1,37,55,21	15,37,50	1,14,73,95	9,56,56
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	25,61,37,71	4,00,14,01	14,99,18,59	3,70,09,86
भारित	2,44,55	--	1,97,44	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये				
दत्तमत	1,08,00,82,81	11,40,93,98	93,54,87,12	5,16,75,58
भारित	65,56,12,62	42,41,56,89	51,48,56,06	38,30,14,68
08. आबकारी				
दत्तमत	36,90,15	--	29,83,26	--
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	15,19,45	1	14,76,35	--
भारित	26,98,01	--	22,79,28	--
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	22,54,31,64	52,50,00	20,28,04,67	48,50,58
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	91,11,04,87	5,87,78,64	81,54,96,10	3,07,14,75
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	31,98,46,44	4,80,64,24	24,74,75,50	3,13,19,47
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	9,24,16,47	23,05,85,60	5,68,11,33	13,36,42,61
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	3,95,14,93	50,00	3,83,40,93	26,39
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनायें				
दत्तमत	23,43,44,19	1,07,60,28	16,45,71,09	33,71,59
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	3,95,66,11	1,17,01,00	3,36,02,75	51,14,99
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान				
दत्तमत	11,41,45,81	35,30,05	10,07,85,18	22,29,96
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	1,13,40,60	80,00,00	90,73,36	--
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	10,46,66,13	21,25,83,55	7,58,73,15	15,96,36,00
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	5,20,41,81	8,12,65,45	4,45,36,08	2,54,17,35
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	14,21,54	2,78,09,40	13,10,32	3,87,62,83
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	10,67,48,33	17,02,02,38	8,67,77,70	13,10,54,41
भारित	9,72,00	--	8,55,21	--
23. उद्योग				
दत्तमत	3,94,11,47	69,50,03	2,77,30,05	13,95,42
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	2,18,36,30	4,30,59,80	1,54,40,84	1,09,63,31
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. खाद्य				
दत्तमत	1,63,57,86	5,18,02,00	1,03,07,17	5,12,66,92
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	1,28,68,91	1,52,39,81	79,19,95	1,11,22,53
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	12,98,09,11	75,43,23	11,20,66,37	45,69,03
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य				
दत्तमत	4,03,40,64	30,49,30	3,30,14,51	8,14,54
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	4,01,86,03	20,94,35	3,32,33,98	15,94,27
भारित	1,62,43	--	1,47,06	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	15,07,60,08	6,16,85,11	8,70,61,78	3,13,81,05
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	4,26,25,62	2,14,07,23	2,86,52,09	1,19,18,13
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	4,15,21,90,15	1,25,78,07,50	3,36,84,32,76	79,35,25,24
भारित	66,70,85,00	42,41,56,89	52,44,62,24	38,30,14,68
कुल योग	4,81,92,75,15	1,68,19,64,39	3,89,28,95,00	1,17,65,39,92

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2021-22		2020-21	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
		(₹ हजार में)		(10)	(11)	(12)	(13)
60,50,69	5,35,08	--	--	(-36.99	(-1.03	(-58.71	(+676.45
--	--	--	--	--	--	--	--
49,48,96	41,17,28	--	--	(-38.46	(-27.02	(-38.13	(-31.70
--	--	--	--	--	--	--	--
1,77,42,74	29,74,20	--	--	(-13.67	(-39.43	(-26.91	(-42.87
--	--	--	--	--	--	--	--
73,26,13	22,34,76	--	--	(-18.16	(-73.29	(-20.03	(-70.68
--	--	--	--	--	--	--	--
69,52,05	5,00,08	--	--	(-17.30	(-23.88	(-23.10	(+19.26
15,37	--	--	--	(-9.46	--	(-7.55	--
6,36,98,30	3,03,04,06	--	--	(-42.25	(-49.13	(-23.01	(-29.19
--	--	--	--	--	--	--	--
1,39,73,53	94,89,10	--	--	(-32.78	(-44.33	(-28.65	(-45.52
--	--	--	--	--	--	--	--
78,37,57,39	47,52,35,69	--	1,09,53,43	(-18.88	(-36.91	(-16.23	(-31.03
14,26,22,76	4,11,42,21	--	--	(-21.38	(-9.70	(-18.76	(+136.05
92,63,80,15	51,63,77,90	--	1,09,53,43	(-19.22	(-30.05	(-16.58	(+13.55

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित मामले में व्यय पूंजीगत दत्तमत अनुदान से भी अधिक है लेकिन यह संबंधित अनुदान में टिप्पणी किए गए उंचंत के समायोजन के कारण था, जहां आधिक्य का नियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है:

पूंजीगत प्रभाग

21 - उर्जा

इसके अतिरिक्त कुल व्ययों के अंतर्गत पिछले वर्षों के ₹ 2,49,64,36 हजार के आपत्तिगत बही उंचंत के समायोजन सम्मिलित है | आपत्तिगत बही उंचंत के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित हैं, के अंतर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाए गये हैं |

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 2,11,96,45 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2021-22 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी | इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिए गये हैं |

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 4,35,84,72 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई | अनुदानों जिससे यह सम्बन्धित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं |

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाए गए व्यय में ₹ 23,85,39 हजार की राशि शामिल है (यह अनुदानों के अंतर्गत भी दिखाया गया है, जिससे यह सम्बन्धित है) जो 31.03.2022 तक डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पडी है | यह जानकारी राज्य सरकार के 62 सीसीओ में से 05 सीसीओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है | हालांकि, 62 सीसीओ में से 47 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि 10 ने 31.03.2022 को अपने डीडीओ के बैंक खातों में 'शून्य' राशि की सूचना दी है |

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरेवार परिशिष्ट-II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है | शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं |

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2021-22 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है |

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	52,44,62,24	38,30,14,68	3,36,84,32,76	79,35,25,24
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	54,30,08
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	52,44,62,24	38,30,14,68	3,36,84,32,76	78,80,95,16

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है |

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही उत्तराखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व


मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और उत्तराखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 06 DEC 2022

स्थान: नई दिल्ली

		अनुदान सं० 01 विधान सभा		
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	68,04,98			
		68,04,98	59,43,39	(-)8,61,59
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

भारित-

मूल	2,55,76			
		2,55,76	2,19,26	(-)36,50
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	13,00,00			
		13,00,00	1,95,00	(-)11,05,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 861.59 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	3,530.18	3,174.93	355.25
2017-18	4,364.73	4,318.90	45.83
2018-19	7,234.35	6,915.19	319.16
2019-20	7,068.51	6,465.44	603.07
2020-21	6,702.44	5,974.19	728.25

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	------------------------------------

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	3,510.69	3,424.69	2,784.76	(-)639.93
-----	----------	----------	----------	-----------

पुनर्वि० (-)86.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2022 को ₹ 86.00 लाख की कमी यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण किए गए | उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

राजस्व:

भारित-

- (iv) ₹ 36.50 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (v) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2016-17	146.59	124.22	22.37
2017-18	238.59	138.75	99.84
2018-19	261.32	221.88	39.44
2019-20	224.82	223.80	1.02
2020-21	237.22	232.35	4.87

(vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	255.76	255.76	219.26	(-)36.50
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,105.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	2,020.00	1,027.29	992.71
2017-18	2,020.00	1,974.12	45.88
2018-19	3,150.00	3,145.00	5.00
2019-20	1,560.00	1,200.09	359.91
2020-21	1,060.00	183.32	876.68

- (ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

- | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|------|-------------|
| (1) | 03 गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा भवन का निर्माण | | | | |
| | मूल | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | (-)1,000.00 |
| (2) | 04 गैरसैंण (भरारीसैंण) में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान | | | | |
| | मूल | 100.00 | 100.00 | 0.00 | (-)100.00 |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

	अनुदान सं० 02 राज्यपाल			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

मूल	11,90,68			
		11,90,68	11,08,70	(-)81,98
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

भारित-

- (i) ₹ 81.98 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,224.91	743.68	481.23
2017-18	1,040.07	821.64	218.43
2018-19	1,252.95	937.41	315.54
2019-20	1,293.19	930.99	362.20
2020-21	1,197.07	991.19	205.88

- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

101 राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते

(1) 03 राज्यपाल

मूल	42.00	42.00	35.19	(-)6.81
मूल पेंशन की कटौती के पश्चात राज्यपाल के वेतन का भुगतान किए जाने के कारण बचत हुई				

अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
108 दौरा खर्च			
(2) 03 दौरा खर्च			
मूल	10.00	10.00	4.01
₹ 5.99 लाख की बचत का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया।			(-)5.99

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2013 मंत्रिपरिषद

दत्तमत-

मूल	1,82,42,56			
		1,83,27,56	75,08,67	(-1,08,18,89
पूरक	85,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,00,36 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,39,20,55			
		1,39,20,55	1,11,18,99	(-28,01,56
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 19,20,55 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 10,818.89 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 10,818.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 85.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	8,458.00	6,703.16	1,754.84
2017-18	6,429.99	5,231.05	1,198.94
2018-19	7,671.59	6,446.14	1,225.45
2019-20	4,651.90	3,670.68	981.22
2020-21	6,220.20	5,027.30	1,192.90

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2013 मंत्रिपरिषद

00

(1)	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते 03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च मूल	350.00	350.00	130.10	(-)219.90
(2)	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान 03 मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान मूल	9,500.36	9,500.36	6,077.14	(-)3,423.22
(3)	05 मा० मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान मूल	7,500.00	7,500.00	559.62	(-)6,940.38
(4)	108 दौरा खर्च 03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय मूल	100.00	100.00	79.78	(-)20.22
(5)	800 अन्य व्यय 03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय मूल	407.20	407.20	211.97	(-)195.23

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2013 मंत्रिपरिषद

00

101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन

04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी

मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
-----	------	------	------	---------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 2,801.56 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	10,000.00	1,869.37	8,130.63
2017-18	2,500.00	2,371.70	128.30
2018-19	6,500.00	5,455.97	1,044.03
2019-20	6,000.00	4,207.90	1,792.10
2020-21	6,000.00	5,448.69	551.31

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

800 अन्य व्यय

02 मा. मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान

मूल	13,920.55	13,920.55	11,118.99	(-)2,801.56
-----	-----------	-----------	-----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	2,35,42,84		
		2,50,87,39	2,07,56,53
			(-)43,30,86
पूरक	15,44,55		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 2,92,78 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

भारित-

मूल	54,41,00		
		59,48,95	47,99,23
			(-)11,49,72
पूरक	5,07,95		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	55,30,00		
		55,30,00	14,03,12
			(-)41,26,88
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,330.86 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 4,330.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 1,544.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	17,725.17	12,258.19	5,466.98
2017-18	16,372.26	14,434.60	1,937.66
2018-19	20,764.85	16,791.61	3,973.24
2019-20	22,028.61	16,164.54	5,864.07
2020-21	24,710.55	18,047.03	6,663.52

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

(1)	105 सिविल और सेशन न्यायालय				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	179.61			
			231.31	127.11	(-)104.20
	पूरक	51.70			

(2)	03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश				
	मूल	14,102.20			
	पूरक	1,227.41	15,284.11	13,146.64	(-)2,137.47
	पुनर्वि०	(-)45.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को ₹ 17.00 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 28.50 लाख की कमी पारिश्रमिक तथा अर्जित अवकाश नकदीकरण में हुई बचत के कारण किए गए | अंतिम बचत का कारण अवस्थापना व्यय की विभिन्न मदों में बचत होना था।

(3)	04 पारिवारिक न्यायालय				
	मूल	1,096.52			
	पूरक	15.00	1,157.02	959.27	(-)197.75
	पुनर्वि०	45.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को ₹ 17.00 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 28.50 लाख की वृद्धि अवस्थापना व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | अंतिम बचत का कारण अवस्थापना व्यय की विभिन्न मदों में बचत होना था।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय			
मूल	68.40		
		68.90	41.66
पूरक	0.50		(-)27.24
अंतिम बचत का कारण स्वीकृत पदों के सापेक्ष पदों का रिक्त होना था।			
(5) 108 दण्ड न्यायालय			
03 नियमित अधिष्ठान			
मूल	2,267.08		
		2,288.33	1,867.56
पूरक	21.25		(-)420.77
अंतिम बचत का कारण अवस्थापना व्यय की विभिन्न मदों में बचत होना था।			
(6) 114 विधि सलाहकार और परामर्श परिषद			
03 महाधिवक्ता			
मूल	1,825.95		
		1,837.70	1,572.34
पूरक	11.75		(-)265.36
(7) 04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता			
मूल	1,337.26	1,337.26	1,188.33
			(-)148.93
(8) 800 अन्य व्यय			
04 लोक सेवा अधिकरण			
मूल	500.84	500.84	365.50
			(-)135.34
(9) 05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	401.06		
		406.06	203.41
पूरक	5.00		(-)202.65
(10) 06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	755.59		
		805.59	583.10
पूरक	50.00		(-)222.49

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	07 महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल			
	मूल	21.04		
			24.54	
	पूरक	3.50	13.93	(-)10.61
(12)	09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी			
	मूल	377.75		
			514.92	
	पूरक	137.17	439.80	(-)75.12
(13)	10 लोक अदालत			
	मूल	252.66		
			266.28	
	पूरक	13.62	110.41	(-)155.87
(14)	13 पीडित महिला क्षतिपूर्ति कोष			
	मूल	300.00	300.00	
			100.00	(-)200.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1), (6) से (14) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2014 न्याय प्रशासन

00

800 अन्य व्यय

12 राज्य विधिक सहायता निधि

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

राजस्व:

भारित-

(vi) ₹ 1,149.72 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
(₹ लाख में)			

- (vii) ₹ 1,149.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 507.95 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	5,221.50	2,409.71	2,811.79
2017-18	3,941.50	3,221.84	719.66
2018-19	5,376.42	3,567.28	1,809.14
2019-20	4,725.64	3,644.96	1,080.68
2020-21	5,098.00	3,956.66	1,141.34

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल

5,441.00

5,948.95

4,799.23

(-)1,149.72

पूरक

507.95

अंतिम बचत का कारण स्वीकृत पदों के सापेक्ष पदों का रिक्त होना था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (x) ₹ 4,126.88 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	4,800.02	933.50	3,866.52
2017-18	1,850.02	1,474.01	376.01
2018-19	4,510.00	4,045.78	464.22
2019-20	5,540.00	2,641.31	2,898.69
2020-21	5,580.00	2,463.43	3,116.57

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>60 अन्य भवन</i>			
051 निर्माण			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	3,600.00	3,600.00
			596.00
			(-3,004.00)
(2)	05 न्यायिक कार्यो हेतु अवस्थापना सुविधावओं का विकास		
	मूल	1,500.00	1,500.00
			742.01
			(-757.99)
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	420.00	420.00
			65.11
			(-354.89)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>60 अन्य भवन</i>			
051 निर्माण			
	04 देहरादून में उच्च न्यायालय अतिथि गृह का निर्माण		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-10.00)

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2015 निर्वाचन

दत्तमत-

मूल	1,37,50,02		
		1,37,55,21	1,14,73,95 (-)22,81,26
पूरक	5,19		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,04 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान के दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 54,50 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	15,37,50		
		15,37,50	9,56,56 (-)5,80,94
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,281.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 2,281.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 5.19 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	6,586.80	5,676.14	910.66
2017-18	4,434.78	4,113.04	321.74
2018-19	4,688.29	3,592.92	1,095.37
2019-20	15,198.97	11,972.30	3,226.67
2020-21	4,540.63	3,733.67	806.96

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 650.00

175.00 162.85 (-)12.15

पुनर्वि० (-)475.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2022 को ₹ 187.00 लाख तथा दिनांक 17 जनवरी 2022 को ₹ 288.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए |

(2) 03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत के0पो0)

मूल 1,053.50

950.50 911.77 (-)38.73

पुनर्वि० (-)103.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2022 को ₹ 103.00 लाख की कमी मानदेय तथा प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

(3) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 682.50

183.75 145.26 (-)38.49

पुनर्वि० (-)498.75

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2022 को ₹ 498.75 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए |

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	105 संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार 03 सामान्य निर्वाचन मूल 50.08	1.38	1.29	(-)0.09
	पुनर्वि० (-)48.70 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2022 को ₹ 48.70 लाख की कमी यात्रा व्यय, सामान्य कार्यालय व्यय तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(5)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव करने के लिए प्रभार 05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा मूल 285.00	285.00	168.73	(-)116.27
(6)	109 पंचायत चुनाव कराने हेतु खर्च 02 राज्य निर्वाचन आयोग मूल 288.88	294.07	253.23	(-)40.84
	पूरक 5.19			
(7)	03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय मूल 1,016.78	1,016.78	589.75	(-)427.03
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			
(v)	आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:			

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण

05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के0पो0)

मूल 1,442.86

1,629.86

1,454.38

(-)175.48

पुनर्वि० 187.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2022 को ₹ 187.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (vi) ₹ 580.94 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	750.00	750.00	182.02	(-)567.98
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)				

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2029	भू - राजस्व		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2053	जिला प्रशासन		
2062	सतर्कता		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत		
2506	भूमि सुधार		

दत्तमत-

मूल	18,40,62,65		
		25,61,37,71	14,99,18,59 (-)10,62,19,12
पूरक	7,20,75,06		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 19,80,37 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

भारित-

मूल	2,44,55		
		2,44,55	1,97,44 (-)47,11
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		

दत्तमत-

मूल	3,98,30,01		
		4,00,14,01	3,70,09,86 (-)30,04,15
पूरक	1,84,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
---------------------------	-------------------	--------------------------	--

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्वः

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,06,219.12 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 1,06,219.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 72,075.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	2,86,681.41	1,58,183.13	1,28,498.28
2017-18	1,75,266.79	92,937.44	82,329.35
2018-19	1,23,440.67	86,186.63	37,254.04
2019-20	1,12,142.36	83,037.99	29,104.37
2020-21	1,84,021.41	1,63,451.65	20,569.76

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2029 भू - राजस्व

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय				
	मूल	598.83	598.83	344.55	(-)254.28
(2)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण				
	मूल	224.50	224.50	1.32	(-)223.18
(3)	06 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण				
	मूल	66.67	66.67	15.54	(-)51.13
	101 संग्रहण प्रभार				
(4)	03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार				
	मूल	8,663.80	8,663.80	6,174.28	(-)2,489.52

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	103 भू-अभिलेख 03 जिला अधिष्ठान मूल	15,972.72	15,972.72	12,358.86 (-3,613.86)
(6)	07 राजस्व पुलिस एवं भुलेख प्रशिक्षण केन्द्र मूल	176.86	176.86	77.02 (-99.84)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ				
00				
(7)	099 राजस्व परिषद 02 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान मूल	544.48	559.48	440.58 (-118.90)
	पुनर्वि०	15.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2053 जिला प्रशासन				
00				
(8)	093 जिला स्थापनाएं 03 कलक्टरी स्थापना मूल	17,487.88	17,572.88	14,925.94 (-2,646.94)
	पूरक	100.00		
	पुनर्वि०	(-15.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 को ₹ 15.00 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए			
(9)	101 आयुक्त 03 मुख्य कार्यालय मूल	586.09	590.09	465.15 (-124.94)
	पूरक	4.00		
2062 सतर्कता				
00				
(10)	105 अन्य सतर्कता एजेंसियां 04 सेवा का अधिकार आयोग मूल	301.04	301.04	241.98 (-59.06)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
00			
003 प्रशिक्षण			
(11)	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल		
	मूल	1,001.51	1,001.51
			611.72
			(-)389.79
106 सिविल रक्षा			
(12)	03 स्थापना (25 प्रतिशत के0 पो0)		
	मूल	164.56	
			164.62
			135.07
			(-)29.55
	पूरक	0.06	
107 होमगार्ड्स			
(13)	04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)		
	मूल	1,208.33	
			1,229.33
			1,066.59
			(-)162.74
	पूरक	21.00	
(14)	06 विधान सभा निर्वाचन		
	मूल	0.00	
			885.00
			289.70
			(-)595.30
	पूरक	885.00	
(15)	11 कुम्भ मेला व्यवस्था		
	मूल	1,175.11	
			610.56
			610.55
			(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)564.55	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को ₹ 564.55 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए		
800 अन्य व्यय			
(16)	13 सूचना आयोग की स्थापना		
	मूल	3,86.13	3,86.13
			3,19.59
			(-)66.54

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
05 राज्य आपदा मोचन निधि			
101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
(17)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 93,700.00		
	पूरक 66,836.00	1,60,536.00	83,280.00 (-)77,256.00
(18)	02 आपदा राहत निधि से व्यय		
	मूल 1,04,100.00		
	पूरक 66,836.00	1,70,936.00	1,49,889.19 (-)21,046.81
80 सामान्य			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(19)	02 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	मूल 689.58	689.58	381.04 (-)308.54
(20)	05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन		
	मूल 338.01		
	पूरक 50.00	388.01	255.34 (-)132.67
(21)	07 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	मूल 435.53	435.53	233.78 (-)201.75
(22)	97 बाह्य सहायतित योजनाएं (एस.डी.एम.ए.)		
	मूल 2,000.00	2,000.00	1,500.00 (-)500.00
800 अन्य व्यय			
(23)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 6,053.73		
	पुनर्वि० (-)630.13	5,423.60	2,002.53 (-)3,421.07
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को ₹ 630.13 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

2506 भूमि सुधार

00

102 चकबंदी

(24) 03 खेतों की चकबंदी

मूल

1,486.43

1,486.43

1,256.93

(-)229.50

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2029 भू - राजस्व

00

103 भू-अभिलेख

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल

416.85

416.85

0.00

(-)416.85

(2) 06 राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के रिक्त पदों पर चयन/प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु व्यय

मूल

300.00

300.00

0.00

(-)300.00

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

2053 जिला प्रशासन

00

093 जिला स्थापनाएं

(3) 05 जिला चमोली के गैरसैण (भराडीसैण) में विधानसभा सत्र के दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में

मूल

150.00

150.00

0.00

(-)150.00

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

00

003 प्रशिक्षण

(4) 07 सुचना का अधिकार के अंतर्गत प्रशिक्षण

मूल

5.00

5.00

0.00

(-)5.00

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105 विशेष जांच आयोग			
(5) 03 राज्य आयोग और समितियां			
मूल	7.16	7.16	0.00 (-)7.16
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
107 होमगार्डस			
(6) 10 होमगार्ड बीमा हेतु प्रीमियम अदायगी			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
<i>05 राज्य आपदा मोचन निधि</i>			
101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
(7) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
मूल	10,400.00	10,400.00	0.00 (-)10,400.00
<i>80 सामान्य</i>			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(8) 09 पं. दीन दयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंपीय सुरक्षा कार्यक्रम			
मूल	500.00	437.00	0.00 (-)437.00
पुनर्वि०	(-)63.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2022 को ₹ 63.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(9) 10 राज्य राहत निधि			
मूल	400.00	191.75	0.00 (-)191.75
पुनर्वि०	(-)208.25		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 106.25 लाख, दिनांक 06 जनवरी 2022 को ₹ 89.25 लाख तथा दिनांक 07 जनवरी 2022 को ₹ 12.75 की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

00

107 होमगार्ड्स

(1) 03 सामान्य अधिष्ठान

मूल 11,168.80

पूरक 1,000.00 12,733.35 12,607.47 (-)125.88

पुनर्वि० 564.55

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को ₹ 564.55 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

05 राज्य आपदा मोचन निधि

901 घटाइयें एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल (-)1,04,100.00

(-)1,70,936.00 (-)149889.19 (+)21,046.81

पूरक (-)66,836.00

₹ 1,49,889.19 लाख राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुए, जो कि प्रारंभ में लेखा शीर्ष- 2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी |

80 सामान्य

102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 300.00

363.00 362.70 (-)0.30

पुनर्वि० 63.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2022 को ₹ 63.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 04 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	208.25	2,208.25	2,148.61
			(-)59.64
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 106.25 लाख, दिनांक 06 जनवरी 2022 को ₹ 89.25 लाख तथा दिनांक 07 जनवरी 2022 को ₹ 12.75 की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 47.11 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2016-17	259.37	176.89	82.48	
2017-18	239.23	188.29	50.94	
2018-19	219.31	213.46	5.85	
2019-20	282.5	209.51	72.99	
2020-21	367.25	198.48	168.77	

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2062 सतर्कता

00

103 लोक आयुक्त/उप लोकायुक्त

02 लोक आयुक्त संगठन

मूल 244.55 244.55 197.44 (-)47.11

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (x) ₹ 3,004.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xi) ₹ 3,004.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 184.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(xii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	8,170.02	709.20	7,460.82
2017-18	72,890.06	58,275.23	14,614.83
2018-19	44,275.03	17,023.97	27,251.06
2019-20	41,025.01	19,790.25	21,234.76
2020-21	35,396.73	17,776.12	17,620.61

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	03 तहसील हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	1,200.00	1,200.00	808.31	(-)391.69
(2)	07 कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण मूल	50.00	50.00	21.01	(-)28.99
(3)	15 जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण मूल	2,600.00	2,600.00	2,247.36	(-)352.64

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

00

003 प्रशिक्षण

(1)	02 राज्य प्रशासन अकादमी नैनीताल मूल	390.00	390.00	0.00	(-)390.00
-----	--	--------	--------	------	-----------

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
00

101 प्राकृतिक आपदा			
(2) 02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य			
मूल	300.00	300.00	0.00 (-)300.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(3) 04 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण			
मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर		
2043	राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ		
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन		

दत्तमत-

मूल	95,88,91,79		
		1,08,00,82,81	93,54,87,12 (-)14,45,95,69
पूरक	12,11,91,02		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,77,92 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,86,86 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यें क्रमशः...

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

भारित-

मूल	63,56,12,62		
		65,56,12,62	51,48,56,06 (-)14,07,56,56
पूरक	2,00,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7615 विविध उधार

दत्तमत-

मूल	3,94,93,98		
		11,40,93,98	5,16,75,58 (-)6,24,18,40
पूरक	7,46,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 16,64,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,25,35,20 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	42,41,56,89		
		42,41,56,89	38,30,14,68 (-)4,11,42,21
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 1,44,595.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यै क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	------------------------------------

- (ii) ₹ 1,44,595.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 1,21,191.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	5,93,855.86	4,91,802.89	1,02,052.97
2017-18	7,62,963.29	7,40,348.58	22,614.71
2018-19	8,43,999.02	7,74,229.83	69,769.19
2019-20	9,55,441.34	8,14,942.08	1,40,499.26
2020-21	9,79,184.66	9,09,188.07	69,996.59

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

102	स्टांपों की बिक्री पर ब्याज				
(1)	03 गैर अदालती स्टाम्प				
	मूल	80.00	80.00	29.64	(-)50.36

02 स्टाम्प न्यायिकेतर

102	स्टांपों की बिक्री पर व्यय				
(2)	03 गैर अदालती स्टाम्प				
	मूल	300.00	300.00	209.19	(-)90.81

03 पंजीकरण

001	निदेशन तथा प्रशासन				
(3)	03 मुख्यालय				
	मूल	312.85			
			320.85	264.93	(-)55.92

पुनर्वि०

8.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिल हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 04 जिला व्यय मूल	1,067.53		
पुनर्वि०	(-23.04	1,044.49	914.37 (-)130.12
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को ₹ 23.04 लाख की कमी लेखन सामग्री एवं छपाई तथा उपयोगिता बिल में हुई बचत के कारण किए गए			
2043 राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार			
00			
(5) 06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना मूल	90.00		
पुनर्वि०	(-50.00	40.00	38.45 (-)1.55
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2021 को ₹ 50.00 लाख की कमी इन्शोरेंस पॉलीसी एवं प्रीमियम में हुई बचत के कारण किए गए			
(6) 101 संग्रहण प्रभार 03 वाणिज्य कर अधिष्ठान मूल	9,214.95		
पुनर्वि०	58.50	9,273.45	8,193.03 (-)1,080.42
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2021 को ₹ 50.00 लाख, दिनांक 05 जनवरी 2022 को ₹ 0.50 लाख तथा दिनांक 09 मार्च 2022 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
00			
(7) 103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क 03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	223.04	223.04	185.57 (-)37.47
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
00			
(8) 103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 03 राज्य अल्प बचत संगठन मूल	448.23	448.23	309.04 (-)139.19

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यै क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
800 अन्य व्यय				
(9) 03 भारतीय भांगिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान				
मूल	147.67	147.67	114.36	(-)33.31
2049 ब्याज अदायगियां				
60 अन्य दायित्वों पर ब्याज				
101 जमाओं पर ब्याज				
(10) 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष				
मूल	0.00			
		84.55	67.88	(-)16.67
पूरक	84.55			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवार्यै				
00				
090 सचिवालय				
(11) 08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय				
मूल	40.00	40.00	30.85	(-)9.15
(12) 11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान				
मूल	20.54	20.54	5.76	(-)14.78
(13) 12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान				
मूल	86.38	86.38	64.73	(-)21.65
(14) 19 गोपन विभाग (ई-मंत्रिमंडल)				
मूल	15.00	15.00	5.49	(-)9.51
091 संग्रह कार्यालय				
(15) 03 राज्य सम्पत्ति विभाग				
मूल	6,254.34			
		6,454.34	5,430.47	(-)1,023.87
पूरक	200.00			
(16) 04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय				
मूल	156.18	156.18	117.97	(-)38.21

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यै क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक मुश्त व्यवस्था मूल 57.96	57.96	35.19 (-)22.77
(18)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल 57.55	57.55	39.83 (-)17.72
(19)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 43.30 पूरक 18.27	61.57	29.47 (-)32.10
(20)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल 140.73	140.73	88.73 (-)52.00
(21)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 83.26	83.26	60.31 (-)22.95
(22)	15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 97.70	97.70	46.31 (-)51.39
	092 अन्य कार्यालय		
(23)	02 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल 100.00	100.00	33.78 (-)66.22
	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन		
	00		
	003 प्रशिक्षण		
(24)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल 300.00	300.00	200.00 (-)100.00
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय		
(25)	02 विभागों में ई-प्रोक्चोरमेंट योजना लागु किया जाना मूल 30.10	30.10	22.36 (-)7.74

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(26)	03 कोषागार एवं वित्त सेवार्ये अधिष्ठान मूल 662.83	659.83	512.40 (-)147.43
	पुनर्वि० (-)3.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 जून 2021 को ₹ 3.00 लाख की कमी लघु निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए		
(27)	05 विभागीय लेखा अधिष्ठान मूल 192.69	214.19	163.40 (-)50.79
	पूरक 21.50		
(28)	07 वित्तीय डाटा सेंटर मूल 1,429.50	1,429.50	435.84 (-)993.66
(29)	097 खजाना स्थापना 03 कोषागार अधिष्ठान मूल 7,231.55	7,231.55	5,846.06 (-)1,385.49
(30)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय मूल 172.62	175.62	118.87 (-)56.75
	पुनर्वि० 3.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 जून 2021 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(31)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन मूल 308.59	308.59	264.71 (-)43.88
(32)	06 आडिट निदेशालय मूल 1,225.27	1,225.27	883.02 (-)342.25
	2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ 01 सिविल		
(33)	101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते 04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड मूल 37,000.00	37,000.00	27,257.83 (-)9,742.17

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(34)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल	72.00	72.00	60.04 (-)11.96
(35)	104 उपादान 03 उपादान मूल	31,000.00	31,000.00	773.93 (-)30,226.07
(36)	105 परिवार पेंशन 07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल	27.00	27.00	15.33 (-)11.67
(37)	111 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल	1,500.00	1,500.00	663.68 (-)836.32
(38)	115 सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल	34,815.03	34,815.03	28,607.76 (-)6,207.27
(39)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान मूल	300.00	300.00	118.44 (-)181.56
(40)	800 अन्य व्यय 04 राज्य सरकार के सेवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड) मूल पूरक	2,500.00 4,000.00	6,500.00	755.84 (-)5,744.16
(41)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 02 कोविड आपदा हेतु सहायता मूल पूरक	0.00 60,000.00	36,602.64	(-)23,397.36

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण			
<i>03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक उत्थान</i>			
102 पर्यावरण नियोजन और समन्वय			
(42)	02 पर्यावरण निदेशालय		
	मूल	239.55	
		1,254.55	51.99 (-)1,202.56
	पूरक	1,015.00	
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
<i>00</i>			
092 अन्य कार्यालय			
(43)	03 नियोजन अधिष्ठान		
	मूल	558.48	558.48 351.99 (-)206.49
(44)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन		
	मूल	300.00	300.00 145.42 (-)154.58
(45)	05 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना		
	मूल	9.21	9.21 0.66 (-)8.55
(46)	08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण योजना		
	मूल	355.00	355.00 307.64 (-)47.36
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
<i>02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</i>			
112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी			
(47)	03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान		
	मूल	2,145.48	2,145.48 1,922.43 (-)223.05
(48)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान		
	मूल	114.77	114.77 88.56 (-)26.21
800 अन्य व्यय			
(49)	05 जी०आई०एस० प्रकोष्ठ एवं जियो पोर्टल की स्थापना		
	मूल	92.79	92.79 73.09 (-)19.70

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
----------------	------------	---------------	--------------------

(₹ लाख में)

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन

00

200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन

(50)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	80,410.07	80,410.07	54,957.63 (-)25,452.44

(51)	02 राज्य वित्त आयोग			
	मूल	1,22,028.00		
			1,51,328.00	99,075.50 (-)52,252.50
	पूरक	29,300.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

101 स्टाम्पों की लागत

(1)	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को ₹ 20.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को ₹ 20.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यै क्रमशः...				
क्रम शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)	
सं०		व्यय	बचत (-)	(₹ लाख में)
2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन				
00				
797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों/से अन्तरण				
(3)	03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	0.00		
		20,000.00	0.00	(-)20,000.00
	पूरक	20,000.00		
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ				
00				
090 सचिवालय				
(4)	13 सभा सचिवओं के निजी स्टाफ हेतु मानदेय			
	मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
091 संग्रह कार्यालय				
(5)	17 विभिन्न विभागों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त अनुदान			
	मूल	0.00		
		6,000.00	0.00	(-)6,000.00
	पूरक	6,000.00		
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ				
00				
003 प्रशिक्षण				
(6)	02 हायर स्टडीज एंड ट्रेनिंग			
	मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01 सिविल				
102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य				
(7)	03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु आफ पेंशन)			
	मूल	18,500.00	18,500.00	0.00 (-)18,500.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	04 पूर्ववर्ती यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल 5,000.00	5,000.00	0.00 (-)5,000.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	104 उपादान		
(9)	04 पूर्ववर्ती यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल 800.00	800.00	0.00 (-)800.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	105 परिवार पेंशन		
(10)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल 200.00	200.00	0.00 (-)200.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	800 अन्य व्यय		
(11)	09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
	00		
	092 अन्य कार्यालय		
(12)	11 युवा आयोग उत्तराखण्ड मूल 5.03	5.03	0.00 (-)5.03
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2030 स्टाम्प पंजीकरण				
02 स्टाम्प न्यायिकेतर				
101 स्टाम्पों की लागत				
(1)	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	20.00		
			75.04	75.04
	पुनर्वि०	55.04		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2022 को ₹ 35.04 लाख तथा दिनांक 23 मार्च 2022 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01 सिविल				
101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते				
(2)	03 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	मूल	2,20,000.00	2,20,000.00	2,31,385.60 (+)11,385.60
103 अनुकम्पा भत्ता				
(3)	03 अनुकम्पा भत्ता			
	मूल	0.02	0.02	2.15 (+)2.13
105 परिवार पेंशन				
(4)	03 परिवार पेंशन			
	मूल	96,200.00	96,200.00	1,23,369.69 (+)27,169.69
(5)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
	मूल	5,500.00	5,500.00	7,121.24 (+)1,621.24
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी				
(6)	03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान			
	मूल	100.01	100.01	139.06 (+)39.05
109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को वेतन				
(7)	03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	51,500.00	51,500.00	69,237.75 (+)17,737.75

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यै क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
(8) 05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल	16,000.00	16,000.00	18,208.13 (+)2,208.13
(9) 06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मूल	49,000.00	49,000.00	57,948.69 (+)8,948.69
117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान			
(10) 03 राज्य सरकार का अंशदान मूल	70,000.00	70,000.00	70,752.57 (+)752.57
800 अन्य व्यय			
(11) 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता मूल	0.00	0.00	28.16 (+)28.16

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) से (11) तक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

**राजस्वः
भारित-**

- (vii) ₹ 1,40,756.56 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 1,40,756.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 20,000.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	4,01,055.80	3,78,387.27	22,668.53
2017-18	4,63,432.80	3,98,818.25	64,614.55
2018-19	5,17,462.33	4,47,532.44	69,929.89
2019-20	5,67,569.45	4,65,478.86	1,02,090.59
2020-21	6,04,573.95	4,92,435.83	1,12,138.12

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...			
	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)

(₹ लाख में)

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन				
00				
797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों/से अन्तरण				
(1)	03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	25,000.00		
			45,000.00	20,000.00
	पूरक	20,000.00		(-)25,000.00
(2)	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	5,000.00	5,000.00	1,000.00
				(-)4,000.00
2049 ब्याज अदायगियां				
01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज				
101 बाजार कर्जों पर ब्याज				
(3)	22 राज्य विकास ऋण, जो 2011-12 में प्राप्त हुआ			
	मूल	12,158.00	12,158.00	8,534.50
				(-)3,623.50
(4)	25 राज्य विकास ऋण, जो 2014-2015 में प्राप्त हुआ			
	मूल	19,561.00	19,561.00	15,436.00
				(-)4,125.00
(5)	29 राज्य विकास ऋण, जो 2018-2019 में प्राप्त हुआ			
	मूल	52,894.50	52,894.50	44,538.13
				(-)8,356.37
(6)	31 वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	42,968.00	42,968.00	25,518.00
				(-)17,450.00
115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज				
(7)	02 अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज			
	मूल	4,000.00	4,000.00	5.91
				(-)3,994.09
123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिपूर्तियों पर ब्याज				
(8)	03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज			
	मूल	1,00,000.00	1,00,000.00	65,361.56
				(-)34,638.44

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यै क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(9) 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
मूल	2,500.00	2,500.00	1,067.24 (-)1,432.76
(10) 07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज			
मूल	28,000.00	28,000.00	16,330.18 (-)11,669.82
305 ऋण प्रबन्ध			
(11) 03 ऋण प्रबन्धन पर व्यय			
मूल	800.00	800.00	683.85 (-)116.15
03 अन्य बचतों भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(12) 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज			
मूल	450.00	450.00	311.63 (-)138.37
60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101 जमाओं पर ब्याज			
(13) 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष			
मूल	7,500.00	7,500.00	3,185.66 (-)4,314.34
701 विविध			
(14) 03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज			
मूल	35.00	35.00	18.07 (-)16.93
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
00			
092 अन्य कार्यालय			
(15) 03 माननीय न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबंधित धनराशि			
मूल	350.00	350.00	41.10 (-)308.90

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2049 ब्याज अदायगियां

	<i>01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज</i>			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(1)	32 वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	0.00 (-)3,00,00.00
	<i>03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज</i>			
	108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज			
(2)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज			
	मूल	350.00	350.00	0.00 (-)350.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	<i>05 रिजर्व फण्ड पर ब्याज</i>			
	105 सामान्य एवं अन्य रिजर्व फण्ड पर ब्याज			
(3)	02 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष पर ब्याज			
	मूल	5,500.00	5,500.00	0.00 (-)5,500.00
	<i>60 अन्य दायित्वों पर ब्याज</i>			
	701 विविध			
(4)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज			
	मूल	22.00	22.00	0.00 (-)22.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5)	08 कैंपा निधि के ब्याज का अन्तरण			
	मूल	17,000.00	17,000.00	0.00 (-)17,000.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2049 ब्याज अदायगियां

	<i>01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज</i>			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(1)	27 राज्य विकास ऋण, जो 2016-2017 में प्राप्त हुआ			
	मूल	40,795.90	40,795.90	42,308.40 (+)1,512.50

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कूल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 28 राज्य विकास ऋण, जो वर्ष 2017-2018 में प्राप्त हुआ मूल	51,489.40	51,489.40	67,782.52 (+)16,293.12
(3) 30 वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्राप्त बाजार ऋण मूल	36,797.00	36,797.00	53,592.25 (+)16,795.25
04 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अगिमाँ पर ब्याज			
(4) 101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत/योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
03 उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज मूल	6,500.00	6,500.00	7,012.85 (+)512.85

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (xiii) ₹ 62,418.40 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (xiv) ₹ 62,418.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 74,600.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (xv) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	39,413.49	8,360.20	31,053.29
2017-18	45,199.70	18,958.43	26,241.27
2018-19	32,812.73	16,778.70	16,034.03
2019-20	29,655.47	9,030.27	20,625.20
2020-21	58,467.02	44,532.07	13,934.95

- (xvi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| मूल | 10,500.00 | | | |
| | | 85,100.00 | 45,613.76 | (-)39,486.24 |
| पूरक | 74,600.00 | | | |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01 सरकारी रिहायसी भवन</i>			
700 अन्य आवास			
(2)	02 मुख्य सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण		
	मूल	100.00	100.00
		40.00	(-)60.00
<i>02 शहरी आवास</i>			
800 अन्य व्यय			
(3)	03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण		
	मूल	500.00	500.00
		78.70	(-)421.30
(4)	14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण		
	मूल	3,000.00	3,000.00
		2,250.00	(-)750.00
<i>80 सामान्य</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	02 सचिवालय परिसर में अनावासीय भवनों का ध्वस्थिकरण/जीर्णोद्धार/नवनिर्माण		
	मूल	1,000.00	1,000.00
		149.99	(-)850.01
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
<i>00</i>			
201 भवन निर्माण अग्रिम			
(6)	04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम		
	मूल	30.00	30.00
		24.82	(-)5.18
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।			
(xvii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>80 सामान्य</i>			
800 अन्य व्यय			
(1)	17 महत्वपूर्ण स्थापना कार्य		
	मूल	15,000.00	15,000.00
		0.00	(-)15,000.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	18 शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना निर्माण मूल 5,000.00	5,000.00	0.00 (-)5,000.00

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

02 शहरी आवास

800 अन्य व्यय

(3)	11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन एस्टेट का अधिग्रहण मूल 100.00 वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	100.00	0.00 (-)100.00
(4)	12 मुम्बई में उत्तराखण्ड इम्पोरियम एवं भवन की स्थापना मूल 20.00 वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	20.00	0.00 (-)20.00
(5)	15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार मूल 100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(6)	16 रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण मूल 50.00 वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	50.00	0.00 (-)50.00
(7)	19 जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय का निर्माण मूल 1,500.00 पुनर्वि० (-)750.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को ₹ 750.00 लाख की कमी वृहत कार्य में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	750.00	0.00 (-)750.00

7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

00

201 भवन निर्माण अग्रिम

(8)	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम मूल 10.00 वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	10.00	0.00 (-)10.00
-----	---	-------	---------------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

7615 विविध उधार

00

200 अन्य कर्ज

(9)	02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

(10)	03 विधायकों को आवास हेतु ऋण			
	मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xviii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(1)	08 वित्त विभाग के अधिनस्थ कार्यलयों हेतु भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण			
	मूल	2,014.96	2,014.96	2,314.95 (+)299.99

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

02 शहरी आवास

800 अन्य व्यय

(2)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जिर्णोद्धार आदि			
	मूल	0.01	750.01	744.42 (-)5.59

पुनर्वि० 750.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को ₹ 750.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:
भारित-

- (xix) ₹ 41,142.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (xx) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

	00				
	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम				
(1)	03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान				
	मूल	1,10,000.00	1,10,000.00	44,484.00	(-)65,516.00

6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

	01 आयोजनेतर ऋण				
	800 अन्य कर्ज				
(2)	03 पूर्वोत्तर उ0प्र0 के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी				
	मूल	110.00	110.00	43.87	(-)66.13

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण

	101 एक मुश्त कर्ज				
(3)	03 एक मुश्त उधार				
	मूल	7,000.00	7,000.00	4,686.62	(-)2,313.38

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

- (xxi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

	00				
	108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज				
(1)	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान				
	मूल	2000.00	2000.00	0.00	(-)2,000.00
	वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यें समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
----------------	-------------	---------------	-----------------------

(₹ लाख में)

109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
(2) 01 अन्य संस्थाओं से ऋण			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

800 अन्य ऋण			
(3) 03 अन्य ऋण			
मूल	22.00	22.00	0.00 (-)22.00
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

04 केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज

800 अन्य कर्ज			
(4) 03 सहकारिता			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xxii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति

03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान

मूल 80,000.00 80,000.00 1,11,109.65 (+)31,109.65

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

दत्तमत-

मूल	35,07,15			
		36,90,15	29,83,26	(-)7,06,89
पूरक	1,83,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 706.89 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 706.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 183.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	2,392.11	1,879.33	512.78
2017-18	2,540.58	2,281.99	258.59
2018-19	2,935.50	2,623.60	311.90
2019-20	2,963.39	2,539.78	423.61
2020-21	3,305.07	2,757.91	547.16

अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 अधिष्ठान

मूल 829.12

पूरक 183.00 1031.12 718.79 (-)312.33

पुनर्वि० 19.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को ₹ 19.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(2) 04 भट्टियां

मूल 2,678.03

2,659.03 2,264.48 (-)394.55

पुनर्वि० (-)19.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को ₹ 19.00 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

दत्तमत-

मूल	15,19,45			
		15,19,45	14,76,35	(-)43,10
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

भारित-

मूल	26,98,01			
		26,98,01	22,79,28	(-)4,18,73
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

विनियोग के राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 6,65,31 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1			
		1	...	(-)1
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 43.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

राजस्व:

भारित-

- (ii) ₹ 418.73 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	2,896.83	1,947.69	949.14
2017-18	2,447.55	1,436.65	1,010.90
2018-19	2,912.01	1,734.80	1,177.21
2019-20	2,764.02	1,915.18	848.84
2020-21	3,271.43	1,737.00	1,534.43

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल 2,698.01 2,698.01 2,279.28 (-)418.73

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2055	पुलिस
2056	जेलें

दत्तमत-

मूल	22,51,50,73			
		22,54,31,64	20,28,04,67	(-2,26,26,97
पूरक	2,80,91			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 44,46,65 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,93,94 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	52,50,00			
		52,50,00	48,50,58	(-3,99,42
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्वः

दत्तमत-

- ₹ 22,626.97 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 22,626.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 280.91 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,58,983.37	1,44,006.40	14,976.97
2017-18	1,73,448.94	1,66,059.35	7,389.59
2018-19	1,93,877.78	1,83,347.98	10,529.80
2019-20	1,97,056.34	1,82,088.34	14,968.00
2020-21	2,14,274.66	1,86,514.58	27,760.08

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- 08 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ

मूल 63.00

62.00 51.54 (-)10.46

पुनर्वि० (-)1.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 1.00 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सुविधाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए |

- 13 अभियोजन अधिष्ठान

मूल 1,082.86

1,137.36 931.72 (-)205.64

पुनर्वि० 54.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 30.00 लाख तथा दिनांक 16 मार्च 2022 को ₹ 24.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3) 14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो			
मूल	581.61		
	591.61	459.38	(-)132.23
पुनर्वि०	10.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(4) 15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना			
मूल	150.00	119.45	(-)30.55
(5) 16 कुंभ/अर्ध कुंभ मेले की व्यवस्था			
मूल	3,195.57		
	2,518.90	1,424.81	(-)1,094.09
पुनर्वि०	(-)676.67		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2021 को ₹ 336.75 लाख, दिनांक 13 दिसम्बर 2021 को ₹ 20.00 लाख, दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 186.45 लाख, दिनांक 13 जनवरी 2022 को ₹ 19.97 लाख, दिनांक 16 मार्च 2022 को ₹ 7.50 लाख, दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 3.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 103.00 लाख की कमी यात्रा व्यय, सामान्य कार्यालय व्यय तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
003 शिक्षा और प्रशिक्षण			
(6) 04 शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुख्य			
मूल	1,631.59		
	1,644.67	1,370.52	(-)274.15
पुनर्वि०	13.08		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2021 को ₹ 12.42 लाख, दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 23.80 लाख, दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 0.86 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद, मशीन, उपकरण, सज्जा एवं सयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 16 मार्च 2022 को ₹ 17.00 लाख की कमी वेतन तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(7) 03 अभिसूचना अधिष्ठान			
मूल	8,967.56		
		8,940.97	7,948.31
पुनर्वि०	(-26.59)		(-992.66)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2021 को ₹ 0.99 लाख तथा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 30.58 लाख की कमी यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(8) 04 सुरक्षा व्यवस्था			
मूल	2,916.85		
		2,915.47	2,577.82
पुनर्वि०	(-1.38)		(-337.65)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 1.38 लाख की कमी यात्रा व्यय तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए			
(9) 06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण			
मूल	1,90.30	1,90.30	1,58.64
			(-31.66)
108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(10) 04 स्टेट डिजास्टर रिसपॉस फ़ोर्स			
मूल	5,175.40		
		5,300.19	4,272.92
पुनर्वि०	124.79		(-1027.27)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2021 को ₹ 57.77 लाख, दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 29.00 लाख, दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 29.72 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, औषधी तथा रसायन, अनुरक्षण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	109 जिला पुलिस			
(11)	04 रेडियो अधिष्ठान			
	मूल	6,125.06		
	पुनर्वि०	(-1.55)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2021 को ₹ 32.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 31.45 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 2.10 लाख की कमी अन्य भत्ते तथा उपयोगिता बिलों के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए	6,123.51	4,936.27	(-1,187.24)
(12)	16 ट्रैफिक लाइट के संचालन/सड़क सुरक्षा हेतु			
	मूल	566.01		
	पूरक	2.00		
		568.01	399.35	(-168.66)
	111 रेल पुलिस			
(13)	03 मुख्य			
	मूल	2,164.67		
	पुनर्वि०	1.65		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 6.10 लाख की कमी अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 7.75 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई	2,166.32	1,822.53	(-343.79)
(14)	113 पुलिस कर्मचारियों का कल्याण			
	04 चिकित्सालय व्यय			
	मूल	474.69	474.69	328.32
				(-146.37)
(15)	05 खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं दूरनामेन्ट के संबन्ध में व्यय			
	मूल	75.00	75.00	55.51
				(-19.49)
(16)	10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा सहासिक कार्य हेतु पुलिस बलों के लिए सहायता/पुरस्कार			
	मूल	20.00	20.00	4.69
				(-15.31)

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	11 अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद			
	मूल	20.14		
	पुनर्वि०	(-10.34	9.80	1.34
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 10.34 लाख की कमी मानदेय तथा गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में हुई बचत के कारण किए गए			(-)8.46
(18)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	47.25	47.25	22.65
				(-)24.60
(19)	116 न्यायालयिक विज्ञान			
	03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला			
	मूल	495.40		
	पूरक	2.25	498.87	440.67
	पुनर्वि०	1.22		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 1.22 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			(-)58.20
	2056 जेलें			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(20)	03 कारागार अधिष्ठान			
	मूल	6,728.29		
	पुनर्वि०	103.00	6,831.29	6,024.25
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 103.00 लाख की वृद्धि भोजन पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			(-)807.04
(21)	04 कारागार मुख्यालय			
	मूल	187.13	187.13	122.48
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			(-)64.65

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	332.01	332.01	0.00
				(-)332.01

115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	405.06	405.06	0.00
				(-)405.06

(3)	02 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण			
	मूल	127.00	127.00	0.00
				(-)127.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

117 आन्तरिक सुरक्षा

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	100.01	100.01	0.00
				(-)100.01
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)

03 मुख्यालय

मूल 4,710.74

7,206.25 6,435.12 (-)771.13

पुनर्वि० 2,495.51

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को ₹ 2,488.80 लाख, दिनांक 02 नवम्बर 2021 को ₹ 7.04 लाख तथा दिनांक 13 जनवरी 2022 को ₹ 19.97 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 20.30 लाख की कमी अन्य भत्ते, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व में हुई बचत के कारण किए गए |

(2)

06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान

मूल 122.84

पूरक 4.56 158.85 155.38 (-)3.47

पुनर्वि० 31.45

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 31.45 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(3)

101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.05

5.15 5.09 (-)0.06

पुनर्वि० 5.10

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 5.10 लाख की वृद्धि मशीन, उपकरण, सज्जा एवं सयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 विशेष पुलिस			
(4)	05 एस० टी० एफ०			
	मूल	485.05		
	पूरक	4.00	520.55	513.39
	पुनर्वि०	31.50		(-)7.16
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 31.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(5)	02 निर्वाचन			
	मूल	3,000.00	3,000.00	3,245.20
				(+)245.20
	110 ग्राम पुलिस			
(6)	03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान			
	मूल	1,051.50		
			1,106.50	1,096.88
	पुनर्वि०	55.00		(-)9.62
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 55.00 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	117 आन्तरिक सुरक्षा			
(7)	04 ई०आर०एस०एस० अधिष्ठान			
	मूल	123.65		
			128.25	125.65
	पुनर्वि०	4.60		(-)2.60
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 2.50 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 2.10 लाख की वृद्धि फर्नीचर एवं उपकरण तथा उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 399.42 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

(viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2016-17	2,400.04	688.17	1,711.87	
2017-18	2,650.02	1,806.73	843.29	
2018-19	2,322.01	1,858.80	463.21	
2019-20	5,372.65	3,606.51	1,766.14	
2020-21	5,050.00	3,173.90	1,876.10	

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00

211 पुलिस आवास

08 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल

मूल	100.00	100.00	3.64	(-)96.36
-----	--------	--------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00

210 शोध, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

02 पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला तथा संस्कृति

दत्तमत-

मूल	90,35,98,52			
		91,11,04,87	81,54,96,10	(-)9,56,08,77
पूरक	75,06,35			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,22,64 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 7,49,74 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	4,14,78,64			
		5,87,78,64	3,07,14,75	(-)2,80,63,89
पूरक	1,73,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 95,608.77 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

- (ii) ₹ 95,608.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 7,506.35 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	6,51,393.12	5,20,075.18	1,31,317.94
2017-18	6,67,017.93	6,23,077.13	43,940.80
2018-19	7,60,974.26	7,06,732.74	54,241.52
2019-20	8,37,976.63	7,40,291.24	97,685.39
2020-21	9,03,510.19	7,79,175.03	1,24,335.16

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

(1)	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 निदेशालय अधिष्ठान				
	मूल	582.98	582.98	463.80	(-)119.18
(2)	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
	08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल				
	मूल	307.00	307.00	258.44	(-)48.56
(3)	12 प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास				
	मूल	4,500.00			
	पूरक	1,500.00	6,000.00	4,462.01	(-)1,537.99
(4)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता				
	24 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति				
	मूल	11,940.18	11,940.18	8,741.78	(-)3,198.40

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)	
104 निरीक्षण				
(5) 03 क्षेत्रीय निरीक्षण				
मूल	1,560.87			
पुनर्वि०	22.00	1,582.87	1,341.29	(-)241.58
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 22.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन एवं प्रचार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				
(6) 05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना				
मूल	4,046.86			
पूरक	20.00	4,044.86	3,566.24	(-)478.62
पुनर्वि०	(-)22.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 22.00 लाख की कमी उपकरण, मशीन एवं सज्जा में हुई बचत के कारण किए गए				
112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम				
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	12,600.00			
पुनर्वि०	(-)2,353.72	10,246.28	9,102.43	(-)1,143.85
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 2,353.72 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए				
02 माध्यमिक शिक्षा				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(8) 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान				
मूल	955.53			
पूरक	21.25	976.78	773.41	(-)203.37
(9) 15 विभिन्न जनपदों में पुस्तकालय का सुदृढीकरण				
मूल	180.00	180.00	14.53	(-)165.47
004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण				
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	1,217.13	1,217.13	1,064.10	(-)153.03

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	03 सीमेट की स्थापना मूल	220.31	220.31	167.02 (-)53.29
(12)	101 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल	2,871.47	2,885.07	2,546.44 (-)338.63
	पुनर्वि०	13.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को ₹ 13.60 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(13)	04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना मूल	3,926.69	3,926.69	3,456.10 (-)470.59
(14)	105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 02 प्रशिक्षण हेतु डायटो का सशक्तिकरण मूल	26.81	26.81	17.77 (-)9.04
(15)	108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद मूल	829.00	864.00	531.60 (-)332.40
	पूरक	35.00		
(16)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान मूल	1,019.56	1,022.56	843.52 (-)179.04
	पूरक	3.00		
(17)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 03 बालक एवं बालिका विद्यालय मूल	3,06,494.00	3,07,102.00	2,71,972.75 (-)35,129.25
	पूरक	608.00		
(18)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल	2,670.57	2,825.17	2,242.98 (-)582.19
	पूरक	154.60		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19) 15 राजीव गांधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल	106.10	106.10	62.84 (-)43.26
(20) 16 विजीटिंग शिक्षकों के लिए मानदेय मूल	7,000.00	10,000.00	8,671.59 (-)1,328.41
पूरक	3,000.00		
(21) 20 दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल	25.00	25.00	13.44 (-)11.56
(22) 21 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना मूल	1,600.00	1,586.40	1,438.34 (-)148.06
पुनर्वि०	(-)13.60		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को ₹ 13.60 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(23) 110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल	100.00	100.00	86.40 (-)13.60
(24) 113 समग्र शिक्षा 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	3,024.63	3,024.63	2,280.27 (-)744.36
(25) 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 उच्च शिक्षा निदेशालय मूल	634.50	601.50	504.06 (-)97.44
पुनर्वि०	(-)33.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को ₹ 33.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(26)	05 दून विश्वविद्यालय मूल	1,500.00	1,200.00	0.00
	पुनर्वि०	(-300.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए			
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
(27)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	929.60	814.40	(-)115.20
(28)	12 एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्रों/छात्राओं के लिए पुरस्कार मूल	25.00	15.00	(-)10.00
(29)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	244.02	93.26	(-)150.76
	05 भाषा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(30)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान मूल	79.87	44.64	(-)35.23
	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन			
(31)	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान मूल	101.72	74.45	(-)27.27
	103 संस्कृत शिक्षा			
(32)	03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	142.47	118.01	(-)24.46
(33)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मूल	119.13	97.98	(-)21.15
(34)	07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण मूल	25.00	14.46	(-)10.54

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(35)	08 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन मूल	72.49		
	पूरक	4.00	76.49	67.20 (-)9.29
	80 सामान्य			
(36)	001 निदेशन तथा प्रशासन 04 राष्ट्रीय कैडेट टीम मूल	2,179.93	2,179.93	1,837.13 (-)342.80
(37)	05 एयर स्क्वाड्रन एनसीसी की स्थापना मूल	54.89	54.89	47.59 (-)7.30
(38)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,890.99	3,890.99	3,343.88 (-)547.11
(39)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थार्ये (प्राथमिक)(पुरुष) मूल	152.30	152.30	128.36 (-)23.94
	2203 तकनीकी शिक्षा 00			
(40)	105 बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय 03 सामान्य पॉलिटेक्निक मूल	12,406.82		
	पूरक	20.00	12,426.82	10,244.30 (-)2,182.52
	2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं 00			
(41)	001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	39.00	39.00	17.44 (-)21.56

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(42)	03 खेलकूद निदेशालय मूल 947.76 पूरक 16.00 पुनर्वि० 23.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को ₹ 23.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई	986.76	862.79 (-)123.97
(43)	05 युवा कल्याण परिषद को अनुदान मूल 68.88	68.88	46.38 (-)22.50
(44)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल 35.00	35.00	27.34 (-)7.66
(45)	10 विभिन्न निर्वाचनों एवं कुम्भ मेला में तैनात पी०आर०डी० स्वयं सेवकों हेतु बजट व्यवस्था मूल 2,576.00 पुनर्वि० (-)266.54 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 266.54 लाख की कमी मजदूरी में हुई बचत के कारण किए गए	2,309.46	708.11 (-)1,601.35
(46)	18 युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल 906.15	906.15	733.01 (-)173.14
(47)	19 युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण मूल 60.00	60.00	34.93 (-)25.07
(48)	20 पी०आर०डी० स्वयंसेवकों को अर्धसैनिक का प्रशिक्षण मूल 25.00	25.00	14.82 (-)10.18
(49)	22 महिला मंगल दल/ युवा मंगल दल मूल 2,250.00	2,250.00	1,935.74 (-)314.26
(50)	104 खेलकूद 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल 300.00	300.00	141.42 (-)158.58

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
(51)	11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था		
	मूल	50.00	50.00
			13.81
			(-)36.19
(52)	12 प्रादेशीय क्रीडा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीडा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान		
	मूल	30.00	30.00
			11.49
			(-)18.51
(53)	13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान		
	मूल	618.00	
			642.86
			483.96
			(-)158.90
	पूरक	24.86	
(54)	21 अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता		
	मूल	200.00	200.00
			173.89
			(-)26.11
(55)	22 प्रादेशीय क्रीडा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता		
	मूल	10.00	10.00
			1.65
			(-)8.35
(56)	30 पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र		
	मूल	63.00	63.00
			15.44
			(-)47.56
(57)	32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज		
	मूल	100.80	
			120.30
			81.32
			(-)38.98
	पूरक	19.50	
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(58)	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय		
	मूल	821.44	
			829.74
			350.69
			(-)479.05
	पूरक	8.30	

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 ललित कला शिक्षा			
(59)	03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय			
	मूल	270.95		
			274.81	
			234.34	(-)40.47
	पूरक	3.86		
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(60)	03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान			
	मूल	50.00	50.00	39.79
				(-)10.21
(61)	04 स्व. गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान			
	मूल	23.18	23.18	12.01
				(-)11.17
(62)	06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना			
	मूल	20.00	20.00	8.14
				(-)11.86
(63)	08 रंगमंडल स्थापना			
	मूल	20.00	20.00	11.19
				(-)8.81
(64)	09 वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन			
	मूल	60.00	60.00	52.83
				(-)7.17
(65)	12 शहीद स्मारक			
	मूल	15.01		
			18.01	
			5.61	(-)12.40
	पूरक	3.00		
(66)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन			
	मूल	31.48	31.48	8.89
				(-)22.59
(67)	34 धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता			
	मूल	10.00	10.00	0.25
				(-)9.75
(68)	35 मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता			
	मूल	120.00	120.00	45.80
				(-)74.20

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(69)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण मूल	10.00	10.00	4.40 (-)5.60
(70)	41 प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों व देवालयों तथा धार्मिक स्थलों, तीर्थों का रखरखाव व जीर्णोद्धार मूल	100.00	100.00	11.80 (-)88.20
(71)	47 श्राईन बोर्ड को अनुदान मूल	1,000.00	1,000.00	500.00 (-)500.00
(72)	48 नेहरू हेरिटेज सेंटर का रखरखाव / संचालन मूल	14.00	14.00	0.25 (-)13.75
(73)	49 आर्ट गैलरी का संचालन मूल	15.00	15.00	6.49 (-)8.51
(74)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	105.00	105.00	6.00 (-)99.00
(75)	103 पुरातत्व विज्ञान 03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	199.38	199.38	126.45 (-)72.93
(76)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख मूल	144.32	153.62	120.14 (-)33.48
	पूरक	9.30		
(77)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केंद्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	221.09	230.02	197.51 (-)32.51
	पूरक	8.93		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	------------------------------------

107 संग्रहालय			
(78) 03 अधिष्ठान व्यय			
मूल	129.45	129.45	107.94 (-)21.51

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(1) 07 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन			
मूल	51.80	51.80	0.00 (-)51.80
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(2) 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण			
मूल	700.00	700.00	0.00 (-)700.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(3) 03 मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढीकरण			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

02 माध्यमिक शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4) 12 दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर को अनुदान			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(5) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	7.67	7.67	0.00 (-)7.67

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
107 छात्रवृत्तियां			
(6) 15 खेल छात्रवृत्ति मूल	6.50	6.50	0.00 (-)6.50
(7) 19 मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(8) 18 जिला मण्डल एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(9) 19 ब्लॉक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना मूल	90.00	90.00	0.00 (-)90.00
(10) 22 गरीब मेधावी छात्रों को लैपटॉप/मोबाइल वितरण मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(11) 26 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल मूल	113.00	113.00	0.00 (-)113.00
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(12) 09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना मूल	50.00	20.00	0.00 (-)20.00
पुनर्वि०	(-)30.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 30.00 लाख की कमी वेतन एवं भत्तों हेतु सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(13) 11 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा केन्द्रों के लिए सहायता मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
(14)	14 महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की स्तर तक सुदृढीकरण मूल	56.00	56.00	0.00 (-)56.00
(15)	16 राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में एडुसैट के माध्यम से शिक्षा मूल	41.00	41.00	0.00 (-)41.00
(16)	19 एक भारत श्रेष्ठ भारत मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(17)	20 राज्य के मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(18)	22 संघ लोक सेवा आयोग और उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्रों/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	105 संकाय विकास कार्यक्रम			
(19)	04 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारित हेतु गठित समिति मूल	16.00	16.00	0.00 (-)16.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
(20)	105 बहु शिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	535.00	535.00	0.00 (-)535.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(21)	17 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का रखरखाव एवं प्रशिक्षण			
	मूल	9.00	9.00	0.00 (-)9.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	104 खेलकूद			
(22)	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार			
	मूल	40.00		
	पुनर्वि०	(-)23.00	17.00	0.00 (-)17.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को ₹ 23.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(23)	31 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन			
	मूल	3,000.00		
	पुनर्वि०	(-)1400.00	1,600.00	0.00 (-)1,600.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को ₹ 1,400.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(24)	33 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर			
	मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
(25)	36 निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना			
	मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	2205 कला तथा संस्कृति			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(26)	04 कलाकार कल्याण कोष			
	मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(27) 05 धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान मूल	18.08	18.08	0.00 (-)18.08
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(28) 19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का क्रय मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(29) 25 कनिष्ठ और वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2006-07 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(30) 32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(31) 38 बट्टी-केदार उत्सव मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(32) 42 चैतुला फंड / चैतुला उत्सव कार्यक्रम मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(33) 43 राज्योत्सव (राज्य लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन) मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(34) 44 हिमालयी सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव/संचालन मूल	85.00	85.00	0.00 (-)85.00
वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
----------------	------------	---------------	--------------------

(₹ लाख में)

(35)	45 विशिष्ट शैली/वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
------	--	-------	-------	------	----------

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(36)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	6.00	6.00	0.00	(-)6.00
------	--	------	------	------	---------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

(1)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मूल	550.00			
	पूरक	200.00	1,080.00	1,080.00	0.00
	पुनर्वि०	330.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 330.00 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ते हेतु सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				
(2)	08 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मूल	519.94	519.94	647.41	(+)127.47
(3)	104 अराजकीय कॉलेजों और संस्थानों को सहायता 03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मूल	10,452.67			
	पूरक	200.00	10,652.67	10,764.96	(+)112.29

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...			
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं

00

104 खेलकूद

(4) 35 ग्रामीण खेल और स्वास्थ्य संवर्धन योजना

मूल 50.00

1,450.00 1,283.90 (-)166.10

पुनर्वि० 1,400.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को ₹ 1,400.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) एवं (3) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (4) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 28,063.89 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) ₹ 28,063.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 17,300.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	55,905.85	40,632.79	15,273.06
2017-18	27,714.26	16,517.37	11,196.89
2018-19	29,793.39	14,279.43	15,513.96
2019-20	44,723.43	25,791.14	18,932.29
2020-21	42,421.28	35,253.08	7,168.20

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा

(1) 03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण

मूल 1,000.00 1,000.00 428.62 (-)571.38

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	202 माध्यमिक शिक्षा			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10,700.01		
			22,700.01	7,711.04
	प्रक	12,000.00		(-)14,988.97
(3)	11 राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों/ अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण			
	मूल	1,100.00	1,100.00	722.92
				(-)377.08
(4)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
	मूल	400.00	400.00	90.89
				(-)309.11
(5)	18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	16.76
				(-)33.24
(6)	20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण/निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	8.40
				(-)91.60
(7)	29 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों का भवन निर्माण			
	मूल	400.00	400.00	128.55
				(-)271.45
(8)	30 मॉडल स्कूलों में भवन निर्माण			
	मूल	700.00	700.00	481.47
				(-)218.53
(9)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	1,155.00		
			2,155.00	856.78
	प्रक	1,000.00		(-)1,298.22
	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,800.00		
			4,800.00	2,170.89
	प्रक	2,000.00		(-)2,629.11

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय मूल 0.01 पूरक 200.00	200.01	153.34 (-)46.67
(12)	14 कुमाऊँ विश्वविद्यालय मूल 250.00	250.00	76.54 (-)173.46
(13)	15 दून विश्वविद्यालय मूल 500.00	500.00	86.94 (-)413.06
(14)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 735.00	735.00	240.52 (-)494.48
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>			
(15)	102 खेलकूद स्टेडिया 16 आउटडोर फील्ड इंडोर हाल व मिनी स्टेडियम का निर्माण मूल 400.00	400.00	178.49 (-)221.51
(16)	26 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मूल 3,000.01	3,000.01	2,448.96 (-)551.05
<i>04 कला और संस्कृति</i>			
(17)	106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण मूल 300.00	300.00	23.50 (-)276.50
(18)	04 महान विभूतियों की मूर्तियाँ/शहीद स्मारक का निर्माण मूल 50.00 पूरक 100.00	150.00	124.14 (-)25.86
(19)	800 अन्य व्यय 03 सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण मूल 200.00	200.00	17.77 (-)182.23
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	(₹ लाख में)

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
01 सामान्य शिक्षा				
202 माध्यमिक शिक्षा				
(1)	19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(2)	25 केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय			
	मूल	0.00		
	पूरक	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
(3)	31 सैनिक स्कूल जखोली का निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(4)	32 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल पौड़ी का भवन निर्माण			
	मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
	वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा				
(5)	05 उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(6)	16 संस्कृत विश्वविद्यालय			
	मूल	150.00	150.00	0.00 (-)150.00
(7)	18 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(8)	19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	23 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा मूल 300.00	300.00	0.00 (-)300.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(10)	205 भाषा विकास 08 राजकीय संस्कृत आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(11)	600 सामान्य 02 एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण मूल 500.00	500.00	0.00 (-)500.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(12)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 90.00	90.00	0.00 (-)90.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(13)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 10.50	10.50	0.00 (-)10.50
(14)	98 नाबार्ड वित्त पोषित मूल 1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
(15)	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 05 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी मूल 100.00	100.00	0.00 (-)100.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	10 इंजीनियरिंग कालेज टनकपुर मूल 20.00 वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	20.00	0.00	(-)20.00
(17)	11 इंजीनियरिंग कालेज उत्तरकाशी मूल 20.00 वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	20.00	0.00	(-)20.00
(18)	12 सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ मूल 20.00 वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	20.00	0.00	(-)20.00
(19)	13 इंजीनियरिंग कॉलेज सल्ट अल्मोडा का भवन निर्माण मूल 20.00 वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	20.00	0.00	(-)20.00
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>				
(20)	102 खेलकूद स्टेडिया 14 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज भवन का निर्माण मूल 50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(21)	22 त्रेपन सिंह नेगी, राज्य युवा विकास केंद्र की स्थापना मूल 30.00 वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	30.00	0.00	(-)30.00
(22)	24 पं. नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मूल 300.00 पुनर्वि० (-)208.36 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 208.36 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए	91.64	0.00	(-)91.64

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(23) 03 कौडियाला एवं गुलरभोज में साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण अनुरक्षण मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00
04 कला और संस्कृति			
106 संग्रहालय			
(24) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	240.00	240.00	0.00 (-)240.00
(25) 06 प्रेक्षागृह का निर्माण मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
(26) 08 संस्कृति गांव मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(27) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	63.00	63.00	0.00 (-)63.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

102 खेलकूद स्टेडिया

05 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)

मूल 1,000.00

1,208.36

1,208.36

0.00

पुनर्वि०

208.36

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 208.36 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	27,46,31,23			
		31,98,46,44	24,74,75,50	(-7,23,70,94
पूरक	4,52,15,21			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,64,19 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	4,42,64,24			
		4,80,64,24	3,13,19,47	(-1,67,44,77
पूरक	38,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 86,87 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्वः

दत्तमत-

- ₹ 72,370.94 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 72,370.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 45,215.21 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,77,593.95	1,32,363.27	45,230.68
2017-18	1,95,133.60	1,44,115.60	51,018.00
2018-19	2,22,290.42	1,72,645.40	49,645.02
2019-20	2,30,224.31	1,78,243.01	51,981.30
2020-21	2,38,341.58	2,09,904.32	28,437.26

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

001 निदेशन तथा प्रशासन

- 03 मुख्यालय अधिष्ठान

मूल	2,277.38			
पूरक	77.00	2,427.38	2,000.75	(-)426.63
पुनर्वि०	73.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को ₹ 3.00 लाख तथा दिनांक 07 फरवरी 2022 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि मानदेय अनुरक्षण तथा लघु कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

110 अस्पताल तथा औषधालय

- 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	1,350.02	1,350.02	553.00	(-)797.02
-----	----------	----------	--------	-----------

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	03 एलोपैथी चिकित्सालयों और औषधालयों का अधिष्ठान			
	मूल	42,553.00		
	पूरक	185.00	42,267.97	30,254.49
	पुनर्वि०	(-470.03)		(-)12,013.48
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को ₹ 155.90 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 314.13 लाख की कमी महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
(4)	05 क्षय रोग चिकित्सालयों का अधिष्ठान			
	मूल	2,672.98		
			2,712.98	2,427.99
	पूरक	40.00		(-)284.99
(5)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	77.69	77.69	44.00
				(-)33.69
(6)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	41.92	41.92	11.72
				(-)30.20
(7)	23 गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना			
	मूल	770.61		
			795.61	521.63
	पुनर्वि०	25.00		(-)273.98
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2022 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(8)	25 चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण			
	मूल	200.00	200.00	156.45
				(-)43.55
(9)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	157.50	157.50	61.44
				(-)96.06
(10)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	165.14		
			166.64	137.06
	पूरक	1.50		(-)29.58

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11) 03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम (राज्य पोषित)			
मूल	953.82	953.82	795.37 (-)158.45
800 अन्य व्यय			
(12) 06 विभिन्न मेलों/तीर्थ मार्गों/कैलाश मानसरोवर यात्रा एवं स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु बजट			
मूल	201.51	186.51	78.71 (-)107.80
पुनर्वि०	(-)15.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2022 को ₹ 15.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद			
(13) 04 विभागीय औषधि विनिर्माण			
मूल	411.40	355.66	338.16 (-)17.50
पुनर्वि०	(-)55.74		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 58.74 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
(14) 05 अस्पताल तथा रूजालय			
मूल	70.00	70.00	15.13 (-)54.87
(15) 08 आयुर्वेदिक			
मूल	19,978.05	18,018.15	17,060.06 (-)958.09
पुनर्वि०	(-)1,959.90		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को ₹ 18.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 1,941.90 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 होम्योपैथी			
(16) 03 निदेशन तथा प्रशासन			
मूल	199.66		
		203.66	(-)71.90
पूरक	4.00	131.76	
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(17) 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान			
मूल	13,854.52		
पूरक	670.00	14,679.02	(-)4,379.68
पुनर्वि०	154.50	10,299.34	
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को ₹ 76.50 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 153.00 लाख की वृद्धि मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2022 को ₹ 75.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए यद्यपि, प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत प्राप्त होना बजट के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(18) 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान			
मूल	17,653.02		
पूरक	455.00	18,295.55	(-)4,452.60
पुनर्वि०	187.53	13,842.95	
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2022 को ₹ 50.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को ₹ 76.40 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 161.13 लाख की वृद्धि मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि, प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत प्राप्त होना बजट के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(19) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	27,000.00		
		62,620.00	(-)25,319.31
पूरक	35,620.00	37,300.69	

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(20)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	3,150.01		
			6,821.01	
	पूरक	3,671.00	4,241.06	(-),2,579.95
	800 अन्य व्यय			
(21)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	109.18	109.18	90.66
				(-),18.52
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ			
	102 होम्योपैथी			
(22)	03 अस्पताल और औषधालय			
	मूल	2,369.08		
			2,394.08	
	पूरक	25.00	2,106.10	(-),287.98
	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(23)	04 मेडिकल कालेज			
	मूल	35,353.77		
	पूरक	1,930.00	37,214.77	31,257.93
	पुनर्वि०	(-),69.00		(-),5,956.84
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2021 को ₹ 69.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किए गए			
(24)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा			
	मूल	1,552.85		
			1,614.85	
	पूरक	62.00	1,068.50	(-),546.35
(25)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
	मूल	130.10		
	पूरक	40.00	239.10	145.70
	पुनर्वि०	69.00		(-),93.40
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2021 को ₹ 69.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	06 लोक स्वास्थ्य			
	003 प्रशिक्षण			
(26)	03 संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	347.99		
	पूरक	5.00	368.99	(-)77.35
	पुनर्वि०	16.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2022 को ₹ 16.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, अनुरक्षण तथा लघु कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(27)	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	116.71	116.71	(-)48.94
(28)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण			
	मूल	4,760.83		
			4,770.83	(-)914.19
	पूरक	10.00		
(29)	08 राज्य एड्स एवं रक्त संचरण परिषद हेतु (राज्यांश)			
	मूल	40.01		
			85.83	(-)60.83
	पूरक	45.82		
(30)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना/अधिष्ठान			
	मूल	66.21	66.21	(-)15.03
(31)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन (पी.पी.पी.)			
	मूल	3,500.00		
			3,485.00	(-)1,594.39
	पुनर्वि०	(-)15.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2022 को ₹ 15.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण			
(32)	04 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिष्ठान			
	मूल	911.09	911.09	814.92 (-)96.17
	800 अन्य व्यय			
(33)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण			
	मूल	50.00		
	पूरक	100.00	150.00	115.59 (-)34.41
(34)	11 पार्ट-टाईम दाईयों/ आशा कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मानदेय/वार्षिक प्रोत्साहन			
	मूल	4,253.68		
	पूरक	1,550.00	5,803.68	5,194.25 (-)609.43
	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(35)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,010.54	1,010.54	582.00 (-)428.54
	003 प्रशिक्षण			
(36)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	412.13	412.13	269.38 (-)142.75
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें			
(37)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	13,628.85		
	पूरक	30.00	13,658.85	9,405.26 (-)4,253.59
	102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें			
(38)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	613.38	613.38	306.80 (-)306.58
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	(₹ लाख में)

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें				
(1)	08 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम का सुदृढीकरण			
	मूल	15.01		
			5.01	0.00
	पुनर्वि०	(-10.00)		(-5.01)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2022 को ₹ 10.00 लाख की कमी लेखन सामग्री एवं छपाई में हुई बचत के कारण की गई वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान				
105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
(2)	03 शिक्षा			
	मूल	50.03	50.03	0.00
				(-50.03)
06 लोक स्वास्थ्य				
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण				
(3)	13 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-100.00)
800 अन्य व्यय				
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	801.72	801.72	0.00
				(-801.72)
वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 16,744.77 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

- (vii) ₹ 16,744.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 3,800.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	14,825.17	11,597.02	3,228.15
2017-18	14,655.03	6,394.01	8,261.02
2018-19	22,980.07	18,740.30	4,239.77
2019-20	18,821.65	9,759.50	9,062.15
2020-21	30,543.42	17,294.21	13,249.21

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

	<i>01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ</i>			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(1)	14 आवासीय भवनों की व्यवस्था			
	मूल	500.00	500.00	392.33 (-)107.67
(2)	17 अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण			
	मूल	400.00	400.00	166.41 (-)233.59
(3)	23 बेस चिकित्सालयों का निर्माण			
	मूल	2,400.00	2,400.00	1,378.03 (-)1,021.97
	<i>02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ</i>			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(4)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण			
	मूल	500.00	500.00	300.00 (-)200.00
	<i>03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
	105 एलोपैथी			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	25,545.30		
			27,545.30	22,263.04 (-)5,282.26
	पूरक	2,000.00		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	200.00	200.00	79.81 (-)120.19
(7) 08 दून मेडिकल कालेज की स्थापना (एस.पी.ए.) मूल	3,000.00	3,000.00	1,086.61 (-)1,913.39
(8) 09 राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना मूल	500.00	500.00	359.89 (-)140.11
(9) 12 अल्मोड़ा में नर्सिंग कालेज की स्थापना (एस.पी.ए.) मूल	3,500.00	4,800.00	1,881.87 (-)2,918.13
पूरक	1,300.00		
(10) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	3,067.80	3,067.80	2,311.47 (-)756.33

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(1) 04 ब्लड बैंक, आई.सी.यु. आदि का निर्माण कार्य मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(2) 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि क्रय मूल	0.00	300.00	0.00 (-)300.00
पूरक	300.00		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(3) 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय मूल	0.00		
	200.00	0.00	(-)200.00
प्रक	200.00		
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(4) 12 चिकित्सालय डोईवाला			
मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
101 आयुर्वेद			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	800.00	800.00	0.00 (-)800.00
(6) 05 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण			
मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
			वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे
(7) 95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
105 एलोपैथी			
(8) 10 नर्सिंग कालेजों की स्थापना			
मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00
			वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे
(9) 11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
			वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे
(10) 13 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (चंपावत, बाजपुर और गुसकाशी)			
मूल	1,200.00	1,200.00	0.00 (-)1,200.00
			उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2217	शहरी विकास

दत्तमत-

मूल	8,25,07,76			
		9,24,16,47	5,68,11,33	(-)3,56,05,14
पूरक	99,08,71			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...			

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,37,76 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	18,24,97,53			
		23,05,85,60	13,36,42,61	(-)9,69,42,99
पूरक	4,80,88,07			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...			

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 35,605.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ii) ₹ 35,605.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 9,908.71 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,16,109.69	74,480.31	41,629.38
2017-18	75,541.21	58,416.33	17,124.88
2018-19	70,507.26	56,153.00	14,354.26
2019-20	68,149.01	52,075.06	16,073.95
2020-21	1,74,320.61	1,01,260.98	73,059.63

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

(1) 001 निदेशन तथा प्रशासन
02 पेयजल सलाहकार समिति
मूल 16.50 16.50 6.07 (-)10.43

(2) 04 रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान
मूल 700.00
200.00 17.13 (-)182.87

पुनर्वि० (-)500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए ।

052 मशीनरी तथा उपस्कर

(3) 02 नगरीय क्षेत्रों का वाटर मीटर
मूल 1,000.00
495.00 495.00 0.00

पुनर्वि० (-)505.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 505.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
(4) 07 केन्द्रीय पोषित तथा वाह्य सहायतित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
मूल	8,000.00	8,000.00	6,481.44 (-)1,518.56
(5) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	536.42		
पूरक	280.00	816.42	200.53 (-)615.89
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(6) 04 जल संस्थान के कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ के भुगतान हेतु अनुदान			
मूल	600.00	600.00	500.00 (-)100.00
02 मल निकासी एवं सफाई			
105 सफाई सेवाएँ			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	404.10	404.10	57.00 (-)347.10
(8) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	47.15	47.15	6.33 (-)40.82
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(9) 06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
मूल	587.61	587.61	392.77 (-)194.84
(10) 07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
मूल	40.15	40.15	29.65 (-)10.50
(11) 09 मेट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय			
मूल	1,300.00	1,300.00	700.00 (-)600.00
191 स्थानीय निकायों निगमों शहरी विकास प्राधिकरणों नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(12) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	13,810.00	13,810.00	1,689.93 (-)12,120.07

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	3,234.50		
		4,834.50	317.45
पूरक	1,600.00		(-),4,517.05
(14) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	3,875.00	3,875.00	1,564.00
			(-),2,311.00
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(15) 02 हरिद्वार कुम्भ/अर्ध कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान			
मूल	5,289.17		
		5,442.17	1,008.63
पूरक	153.00		(-),4,433.54
(16) 04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग			
मूल	73.65	73.65	59.38
			(-),14.27
(17) 05 शहरी भूमि सीमा रोपण			
मूल	20.34	20.34	11.77
			(-),8.57
(18) 06 उत्तराखण्ड आवास एवं आवास एवं विकास परिषद			
मूल	96.49		
		100.49	76.01
पूरक	4.00		(-),24.48
(19) 07 नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद			
मूल	46.00	46.00	4.19
			(-),41.81
800 अन्य व्यय			
(20) 10 कावड़ मेला के आयोजन हेतु अनुदान			
मूल	300.54	300.54	0.54
			(-),300.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 कंसल्टेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

005 सर्वेक्षण और अन्वेषण

(2) 02 सोंग एवं जमरानी की डी०पी०आर० निर्माण

मूल	600.00			
		100.00	0.00	(-)100.00

पुनर्वि० (-)500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

101 शहरी जालापूर्ति कार्यक्रम

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	49.00	49.00	0.00	(-)49.00
-----	-------	-------	------	----------

(4) 97 वाह्य/विश्व बैंक सहायतित

मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	4,729.22			
		7,249.22	0.00	(-)7,249.22

पूरक 2,520.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 10 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान मूल	100.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-100.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 100.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	98.40	98.40	0.00 (-)98.40
(8) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	68.88	68.88	0.00 (-)68.88
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(9) 06 सड़क पर रेडी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वालो, सपेरा आदि हेतु सहायता			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
800 अन्य व्यय			
(10) 18 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण			
मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(11) 19 नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु जमा धनराशि की वापसी			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

101 शहरी जालापूर्ति कार्यक्रम

05 नगरीय पेयजल

मूल	20,375.57			
पूरक	5,000.00	26,980.57	27,101.14	(+)120.57
पुनर्वि०	1,605.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 1,605.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2022)

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 96,942.99 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 96,942.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 48,088.07 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	48,431.85	30,987.25	17,444.60
2017-18	83,099.99	63,750.51	19,349.48
2018-19	1,11,516.99	59,786.24	51,730.75
2019-20	1,43,214.01	1,01,540.98	41,673.03
2020-21	1,73,380.60	1,10,040.43	63,340.17

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

(1) 03 नगरीय पेयजल

मूल	6,850.00			
		9,550.00	7,744.78	(-)1,805.22
पूरक	2,700.00			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	05 शहरी पेय जल मूल	1,100.00	1,100.00	950.03 (-)149.97
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	42,200.01	64,514.01	24,834.07 (-)39,679.94
	पूरक	22,314.00		
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	4,431.01	6,910.35	5,318.15 (-)1,592.20
	पूरक	2,479.34		
(5)	98 नाबार्ड वित्त पोषित मूल	18,000.00	18,000.00	10,229.11 (-)7,770.89
	02 मल-जल तथा सफाई			
	106 मल जल सेवा			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	6,300.00	6,300.00	905.05 (-)5,394.95
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	735.00	735.00	100.56 (-)634.44
	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	051 निर्माण			
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	18,870.00	32,620.00	21,217.98 (-)11,402.02
	पूरक	13,750.00		
(9)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	9,901.50	16,746.23	13,872.23 (-)2,874.00
	पूरक	6,844.73		

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
800 अन्य व्यय				
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	2,000.00			
		500.00	155.08	(-)344.92
पुनर्वि०	(-)1,500.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को ₹ 1,500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए				
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)				
(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01 जल आपूर्ति				
101 शहरी जल आपूर्ति				
(1) 04 अल्मोडा-सरयू-सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना				
मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(2) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं				
मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
01 राज्य की राजधानी का विकास				
051 निर्माण-कार्य				
(3) 02 मेट्रो रेल का निर्माण				
मूल	7,000.00	7,000.00	0.00	(-)7,000.00
वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
051 निर्माण				
(4) 03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण				
मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 05 गैरसैंण में अवस्थापना कार्य			
मूल	5,000.00	5,000.00	0.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-),5,000.00
(6) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	10,100.00	10,100.00	0.00
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(7) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	2,500.00	2,500.00	0.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-),2,500.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

051 निर्माण

04 नगरों का समेकित विकास

मूल 2,200.00

3,700.00 3,344.13 (-),355.87

पुनर्वि० 1,500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

2220 सूचना तथा प्रसार

दत्तमत-

मूल	2,76,74,93		
		3,95,14,93	3,83,40,93 (-)11,74,00
पूरक	1,18,40,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,34,33 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	50,00		
		50,00	26,39 (-)23,61
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,174.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 1,174.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 11,840.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	10,271.96	9,795.75	476.21
2017-18	4,346.25	4,015.99	330.26
2018-19	12,774.27	11,882.51	891.76
2019-20	7,604.13	5,599.57	2,004.56
2020-21	13,129.42	10,643.21	2,486.21

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2220 सूचना तथा प्रसार			
<i>01 फिल्म</i>			
105	फिल्मों का निर्माण		
(1)	06 फिल्म परिषद की स्थापना		
	मूल	5,100.00	
		400.00	266.52
	पुनर्वि०	(-4700.00)	(-133.48)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को ₹ 4,500.00 लाख तथा दिनांक 28 फरवरी 2022 को ₹ 200.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए		
<i>60 अन्य</i>			
102	सूचना केन्द्र		
(2)	04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर		
	मूल	25.06	25.06
			17.47
			(-7.59)
106	क्षेत्र प्रचार		
(3)	03 अधिष्ठान		
	मूल	377.20	377.20
			325.69
			(-51.51)
110	प्रकाशन		
(4)	03 अधिष्ठान		
	मूल	5,063.58	
		1,061.58	1,050.17
	पुनर्वि०	(-4,002.00)	(-11.41)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को ₹ 3,700.00 लाख तथा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को ₹ 302.00 लाख की कमी विज्ञापन एवं प्रचार में हुई बचत के कारण किए गए		
800	अन्य व्यय		
(5)	03 स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय		
	मूल	100.00	
		1,540.00	851.57
	पूरक	1,440.00	(-688.43)

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मूल	60.00	60.00	25.81 (-)34.19
(7) 07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन मूल	50.00	50.00	3.76 (-)46.24

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2220 सूचना तथा प्रसार

60 अन्य

103 मुद्रणालय सूचना सेवायें

04 पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2220 सूचना तथा प्रसार

01 फिल्म

105 फिल्मों का निर्माण

(1) 03 अधिष्ठान

मूल 571.72

771.72 761.37 (-)10.35

पुनर्वि० 200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2022 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

<i>60 अन्य</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2) 03 अधिष्ठान व्यय			
मूल	921.31		
		1261.31	1161.30
			(-)100.01
पुनर्वि०	340.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को ₹ 290.00 लाख तथा दिनांक 28 फरवरी 2022 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार			
(3) 05 अधिष्ठान			
मूल	15,205.59		
पूरक	10,400.00	33,755.59	33,731.67
			(-)23.92
पुनर्वि०	8,150.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को ₹ 8,200.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन एवं प्रचार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2022 को ₹ 50.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 23.61 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 मिडिया से सम्बंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	50.00	50.00	26.39	(-)23.61
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

दत्तमत-

मूल	18,80,82,70			
		23,43,44,19	16,45,71,09	(-)6,97,73,10
पूरक	4,62,61,49			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 32,10 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,30,04 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,07,60,28			
		1,07,60,28	33,71,59	(-)73,88,69
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,75,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्वः

दत्तमत-

- (i) ₹ 69,773.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 69,773.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 46,261.49 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,66,320.59	1,15,854.56	50,466.03
2017-18	1,49,697.05	1,17,214.13	32,482.92
2018-19	1,70,943.24	1,34,182.98	36,760.26
2019-20	1,85,921.41	1,44,405.00	41,516.41
2020-21	1,97,295.72	1,49,445.28	47,850.44

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान
मूल 1,427.80 1,427.80 1,070.26 (-)357.54

- (2) 06 आई.टी. सेल
मूल 95.31 95.31 77.59 (-)17.72

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (3) 05 अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन
मूल 10.63 10.63 1.11 (-)9.52

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 आर्थिक विकास			
(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,616.00	2,616.00	864.65 (-)1,751.35
277 शिक्षा			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	398.51	398.51	82.68 (-)315.83
(6) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	408.50	408.50	83.97 (-)324.53
800 अन्य व्यय			
(7) 07 गोरखा कल्याण परिषद मूल	29.77		
पुनर्वि०	(-)16.50	13.27	1.38 (-)11.89
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2022 को ₹ 9.00 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 7.50 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए			
04 अल्पसंख्यकों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8) 03 प्रांतीय हज समिति को अनुदान मूल	69.60	69.60	36.89 (-)32.71
(9) 04 अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान मूल	73.89	73.89	58.89 (-)15.00
(10) 05 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय मूल	140.06		
पुनर्वि०	4.00	144.06	93.54 (-)50.52
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2022 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
277 शिक्षा			
(11) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	23.56		
		33.56	(-)14.62
पूरक	10.00		
(12) 03 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना			
मूल	10.00	10.00	(-)9.70
(13) 06 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड			
मूल	70.86	70.86	(-)22.72
800 अन्य व्यय			
(14) 03 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय			
मूल	15.24	15.24	(-)9.23
(15) 06 मुख्यमंत्री कौशल योजना का संचालन			
मूल	300.00		
		200.00	0.00
पुनर्वि०	(-)100.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 नवम्बर 2021 को ₹ 100.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(16) 09 वक्फ ट्रिब्यूनलो हेतु सहायता			
मूल	63.88	63.88	(-)38.39
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(17) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	773.70	773.70	(-)286.25
(18) 04 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल	126.68	126.68	(-)26.03

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनार्ये क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19) 07 दिव्यांग युवकों/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल	25.00	25.00	15.50 (-)9.50
(20) 11 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम मूल	35.92	35.92	21.91 (-)14.01
(21) 16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र मूल	100.00	100.00	72.09 (-)27.91
(22) 19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता मूल	50.00	50.00	13.45 (-)36.55
102 बाल कल्याण			
(23) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	46,011.96	48,029.06	39,943.47 (-)8,085.59
पूरक	2,017.10		
(24) 04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	356.18	353.07	270.52 (-)82.55
पुनर्वि०	(-3.11)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2022 को ₹ 6.58 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किए गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को ₹ 3.47 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय, सामग्री एवं सम्पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(25) 05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल	40.91	40.91	29.16 (-)11.75
(26) 06 बाल कल्याण की विविध योजनार्ये मूल	114.51	114.51	59.78 (-)54.73

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(27)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल	894.13			
	पुनर्वि०	(-3.47)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को ₹ 3.47 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किए गए	890.66	704.62	(-)186.04	
(28)	15 निदेशालय मूल	1,725.20	1,725.20	1,406.56	(-)318.64
(29)	16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (100 प्रतिशत राज्य योजना) मूल	2,475.00	2,475.00	983.14	(-)1491.86
(30)	18 मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना मूल	1,300.00	1,300.00	995.33	(-)304.67
(31)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	7,695.62			
	पूरक	557.42	8,253.04	3,678.99	(-)4,574.05
	103 महिला कल्याण				
(32)	13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल	60.00	60.00	45.23	(-)14.77
(33)	14 मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन मूल	167.74	167.74	123.42	(-)44.32
(34)	19 परिवीक्षा सेवा मुख्यालय मूल	95.57			
	पुनर्वि०	6.58	102.15	84.62	(-)17.53
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2022 को ₹ 6.58 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(35) 29 नंदा गौरा योजना			
मूल	12,000.00		
		37,500.00	6,000.00
पूरक	25,500.00		(-)31,500.00
(36) 35 मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना			
मूल	25.00		
		1,676.79	295.88
पूरक	1,651.79		(-)1,380.91
(37) 104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	69.12	69.12	47.12
(38) 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह			
मूल	321.88	321.88	38.89
(39) 04 भिक्षावृत्ति का निवारण			
मूल	88.71	88.71	54.46
(40) 107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता 06 अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता			
मूल	10.00	10.00	4.13
(41) 200 अन्य कार्यक्रम 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	494.72	494.72	217.56
(42) 04 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान			
मूल	750.00	750.00	386.50
(43) 08 वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति			
मूल	9.30	9.30	0.86
(44) 09 समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति			
मूल	25.06	25.06	4.15

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(45) 14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन मूल	15.31	15.31	4.60 (-)10.71
<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>			
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(46) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	970.90		
		5,543.22	2,184.69 (-)3,358.53
पूरक	4,572.32		
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(47) 05 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन मूल	45,126.35		
		40,363.85	35,152.73 (-)5,211.12
पुनर्वि०	(-)4,762.50		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 4,762.50 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए ।			
107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(48) 03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन मूल	2,400.00	2,400.00	1,704.33 (-)695.67
200 अन्य कार्यक्रम			
(49) 03 सैनिक कल्याण मूल	3,818.68		
		3,972.93	3,311.02 (-)661.91
पूरक	154.25		
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनार्ये क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

277 शिक्षा

(1) 02 शहीद उधम सिंह कम्बोज छात्रवृत्ति हेतु कारपस फण्ड
मूल 5.00 5.00 0.00 (-)5.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(2) 06 राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड
मूल 5.00 5.00 0.00 (-)5.00

800 अन्य व्यय

(3) 09 बाबा साहेब फुले योजना
मूल 5.00 5.00 0.00 (-)5.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

277 शिक्षा

(4) 02 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति
मूल 203.00 203.00 0.00 (-)203.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

800 अन्य व्यय

(5) 07 उत्तराखंड वक्फ विकास परिषद
मूल 6.50 6.50 0.00 (-)6.50
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(6) 08 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद
मूल 8.75 8.75 0.00 (-)8.75
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(7)	08 दिव्यांग शिवरों/सेमिनारों का आयोजन		
	मूल	5.00	5.00
			0.00
			(-)5.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(8)	09 दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
(9)	13 दिव्यांगों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(10)	21 सुगम उत्तराखण्ड अभियान के अंतर्गत बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा		
	मूल	200.00	200.00
			0.00
			(-)200.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
102 बाल कल्याण			
(11)	17 किशोर न्याय निधि की स्थापना		
	मूल	10.01	10.01
			0.00
			(-)10.01
	वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
103 महिला कल्याण			
(12)	09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना		
	मूल	11.51	11.51
			0.00
			(-)11.51
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(13)	21 आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष (राज्य योजना)		
	मूल	200.00	200.00
			0.00
			(-)200.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(14)	22 परित्यक्त महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(15)	34 न्यायिक वाद के दौरान परित्यक्ताओं को गुजारा भत्ता मूल 360.00	360.00	0.00 (-)360.00
(16)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण 08 वृद्धों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता मूल 260.00	260.00	0.00 (-)260.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(17)	200 अन्य कार्यक्रम 06 दिव्यांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल 8.00	8.00	0.00 (-)8.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(18)	11 मुख्यमंत्री के सलाहकार (समाज कल्याण) मूल 13.07	6.07	0.00 (-)6.07
	पुनर्वि० (-)7.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 7.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(19)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 23.80	23.80	0.00 (-)23.80

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

	<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(20)	07 पर्वतीय क्षेत्र में 60 वर्ष से उपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना			
	मूल	50.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 50.00 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(21)	08 डंगिरियों और जंगिरियों को मासिक पेंशन			
	मूल	50.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 50.00 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
	<i>04 अल्पसंख्यकों का कल्याण</i>			
	277 शिक्षा			
(1)	04 मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनंस फाउंडेशन			
	मूल	30.00		
		130.00	130.00	0.00
	पुनर्वि०	100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 नवम्बर 2021 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(2) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना

मूल 1,189.45

पूरक 5,169.02 11,120.97 7,045.85 (-)4,075.12

पुनर्वि० 4,762.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 4,762.50 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 अन्य कार्यक्रम

(3) 07 राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना

मूल 2,506.81 2,506.81 2,513.62 (+)6.81

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 7,388.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	3,628.07	1,861.58	1,766.49
2017-18	6,455.44	2,054.03	4,401.41
2018-19	8,029.05	3,787.12	4,241.93
2019-20	10,936.07	7,014.21	3,921.86
2020-21	15,198.16	7,275.05	7,923.11

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>04 अल्पसंख्यकों का कल्याण</i>			
<i>277 शिक्षा</i>			
(1)	01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना		
	मूल	3,600.00	3,600.00
			1,937.13
			(-1,662.87)
	800 अन्य व्यय		
(2)	06 कब्रिस्तानों में चारदीवारी का निर्माण		
	मूल	1,000.01	1,000.01
			217.55
			(-782.46)
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
<i>103 महिला कल्याण</i>			
(3)	09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण		
	मूल	200.00	
			113.96
			4.35
			(-109.61)
	पुनर्वि०	(-86.04)	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2022 को ₹ 86.04 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई		
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
<i>203 रोजगार</i>			
(4)	02 अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना		
	मूल	200.00	200.00
			174.67
			(-25.33)
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(x)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	<i>03 पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>		
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
(1)	03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी		
	मूल	10.00	10.00
		0.00	(-)10.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	277 शिक्षा		
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	5.00	5.00
		0.00	(-)5.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	5.25	5.25
		0.00	(-)5.25
	<i>04 अल्पसंख्यकों का कल्याण</i>		
	800 अन्य व्यय		
(4)	05 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य		
	मूल	300.00	300.00
		0.00	(-)300.00
	4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	<i>02 समाज कल्याण</i>		
	102 बाल कल्याण		
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,750.01	1,750.01
		0.00	(-)1,750.01
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(6)	05 मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन एवं उच्चीकरण योजना		
	मूल	2,000.00	2,000.00
		0.00	(-)2,000.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	262.50	262.50	0.00 (-)262.50
103 महिला कल्याण			
(8) 10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना) मूल	400.00	400.00	0.00 (-)400.00
104 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(9) 10 सुगम्य भारत मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम</i>			
800 अन्य व्यय			
(10) 03 सैनिक कल्याण मूल	20.02	20.02	0.00 (-)20.02

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण

मूल 50.00

136.04

136.04

0.00

पुनर्वि० 86.04

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2022 को ₹ 86.04 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

दत्तमत-

मूल	3,94,92,08			
		3,95,66,11	3,36,02,75	(-)59,63,36
पूरक	74,03			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,99,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	92,01,00			
		1,17,01,00	51,14,99	(-)65,86,01
पूरक	25,00,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 5,963.36 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 5,963.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 74.03 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	21,973.67	14,736.92	7,236.75
2017-18	23,785.06	21,879.41	1,905.65
2018-19	36,817.83	22,160.48	14,657.35
2019-20	43,522.46	28,877.70	14,644.76
2020-21	49,059.96	33,485.12	15,574.84

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

01 श्रम

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 श्रम विभाग का अधिष्ठान

मूल	337.06			
पूरक	6.50	339.06	269.75	(-)69.31
पुनर्वि०	(-)4.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2022 को ₹ 4.50 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए |

101 औद्योगिक संबन्ध

(2) 03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन

मूल	923.18	923.18	750.20	(-)172.98
-----	--------	--------	--------	-----------

103 सामान्य श्रम कल्याण

(3) 03 श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र

मूल	53.41	53.41	42.90	(-)10.51
-----	-------	-------	-------	----------

क्र.सं. (1) से (3) के शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत आर्थिक व्यय के कारण था |

02 रोजगार सेवाएं

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4) 03 रोजगार संबन्धी अधिष्ठान

मूल	1,100.59	1,100.59	967.09	(-)133.50
-----	----------	----------	--------	-----------

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
004 अनुसन्धान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	35.00	35.00	13.94
			(-)21.06
101 रोजगार सेवार्यें			
(6) 03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना			
मूल	148.00	148.00	84.20
			(-)63.80
03 प्रशिक्षण			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,175.60		
		1,200.35	366.75
पूरक	24.75		(-)833.60
(8) 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
मूल	11,533.77		
		11,518.17	10,211.06
पुनर्वि०	(-)15.60		(-)1,307.11
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2022 को ₹ 14.00 लाख तथा दिनांक 14 मार्च 2022 को ₹ 1.60 लाख की कमी पारिश्रमिक, उपकरण, मशीन तथा सज्जा में हुई बचत के कारण किए गए			
(9) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	105.00		
		142.78	69.28
पूरक	37.78		(-)73.50
(10) 97 बाह्य सहायतित परियोजना			
मूल	6,000.00	6,000.00	3,800.00
			(-)2,200.00
102 शिक्षता प्रशिक्षण			
(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,851.00	2,851.00	1,284.85
			(-)1,566.15
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (4) से (11) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

01 श्रम

103 सामान्य श्रम कल्याण

(1) 09 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण

मूल 50.00

0.43 0.00 (-)0.43

पुनर्वि० (-)49.57

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2022 को ₹ 49.57 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

(2) 10 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

अंतिम बचत वर्तमान में संचालित प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) के कारण बताई गई |

03 प्रशिक्षण

102 शिक्षुता प्रशिक्षण

(3) 05 मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना

मूल 200.00 200.00 0.00 (-)200.00

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) पर सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 10,921.00

10,926.00 11,783.83 (+)857.83

पूरक 5.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 6,586.01 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 6,586.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 2,500.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,424.64	1,288.71	135.93
2017-18	1,425.00	1,071.22	353.78
2018-19	1,400.22	1,095.96	304.26
2019-20	1,534.49	421.74	1,112.75
2020-21	4,500.01	3,585.31	914.70

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

- (1) 97 वाह्य सहायतित योजनाएं

मूल 8,000.00

10,500.00 4,370.00 (-)6,130.00

पूरक 2,500.00

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

- (2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल 1,000.00

1,000.00 546.33 (-)453.67

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-)
(₹ हजार में)			

राजस्व:

2401	फसल कृषि कर्म
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

दत्तमत-

मूल	10,93,39,71			
		11,41,45,81	10,07,85,18	(-1,33,60,63
प्रक	48,06,10			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...				

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,99,98 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 30,24,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	35,30,05			
		35,30,05	22,29,96	(-13,00,09
प्रक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...				

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्वः

दत्तमत-

- (i) ₹ 13,360.63 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 13,360.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 4,806.10 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	89,388.30	64,185.78	25,202.52
2017-18	90,130.10	83,724.99	6,405.11
2018-19	1,13,796.89	96,812.47	16,984.42
2019-20	1,20,727.53	88,889.38	31,838.15
2020-21	1,17,645.59	98,847.75	18,797.84

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	17,503.21		
	पूरक	18.88	17,522.09	9,335.82 (-)8,186.27
(2)	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	11,476.95		
	पूरक	0.56	11,477.51	10,102.48 (-)1,375.03
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	2,042.04		
	पूरक	2.10	2,044.14	1,064.02 (-)980.12

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
108 वाणिज्यिक फसलें			
(4) 06 गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड मूल	13.95	13.95	0.15
			(-)13.80
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	4,862.70		
		6,162.70	5,313.36
			(-)849.34
प्रक	1,300.00		
(6) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	567.55		
		767.55	586.11
			(-)181.44
प्रक	200.00		
111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
(7) 02 कृषि इन्श्योरेंसे सर्वेक्षण मूल	50.00	50.00	9.62
			(-)40.38
114 तिलहन विकास			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	45.00	45.00	17.62
			(-)27.38
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
80 सामान्य			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(9) 08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना मूल	100.00	100.00	82.58
			(-)17.42
(10) 13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली मूल	150.00	150.00	61.50
			(-)88.50
(11) 14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराडीसैण मूल	190.00	190.00	39.60
			(-)150.40

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12) 15 खाद्य प्रोद्योगिकी संस्थान डोईवाला मूल	160.00	160.00	36.45 (-)123.55
(13) 24 पुष्प बीज एवं प्रशिक्षण केन्द्र सेलाकुई मूल	36.00	36.00	1.50 (-)34.50
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
2401 फसल कृषि कर्म			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1) 11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद मूल	22.80	22.80	0.00 (-)22.80
102 खाद्यानों की फसलें			
(2) 03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
108 वाणिज्यिक फसलें			
(3) 05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
110 फसल बीमा			
(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	200.00	194.10	0.00 (-)194.10
पुनर्वि० (-)5.90			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को ₹ 5.90 लाख की कमी इन्शोरेंस, पॉलीसी एवं प्रीमियम में हुई बचत के कारण किए गए			
(5) 111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	34.25	34.25	0.00 (-)34.25

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

80 सामान्य

120 अन्य संस्थाओं को सहायता

(6)	05 पन्त नगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	06 जलागम प्रबंध निदेशालय/पी०एम०के०एस०वाई०			
	मूल	44.41		
			59.31	58.12
				(-)1.19

पुनर्वि० 14.90

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2022 को ₹ 14.90 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	08 जल पंप स्प्रिंकलर सेट पोली हाउस विविधकरण योजना			
	मूल	400.00		
			700.00	699.34
				(-)0.66

पुनर्वि० 300.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

103 बीज

(3)	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र			
	मूल	54.50		
			59.50	58.23
				(-)1.27

पुनर्वि० 5.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
108 वाणिज्यिक फसलें			
(4) 07 गन्ना क्रय के सापेक्ष देय कमीशन की प्रतिपूर्ति			
मूल	0.02		
	2,119.06	2,119.04	(-)0.02
पुनर्वि०	2,119.04		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को ₹ 2,119.04 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ते तथा अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
110 फसल बीमा			
(5) 95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
मूल	210.00		
	215.90	215.90	0.00
पुनर्वि०	5.90		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को ₹ 5.90 लाख की वृद्धि इन्शोरेंस, पॉलोसी एवं प्रीमियम हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

(vii)	₹ 1,300.09 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी			
(viii)	₹ 2,778.68 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)			
(ix)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	113 कृषि			
(1)	02 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर हेतु विशेष अनुदान			
	मूल	300.00	300.00	0.00 (-)300.00
	800 अन्य व्यय			
(2)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)				

अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2425 सहकारिता

दत्तमत-

मूल	1,12,29,71		
		1,13,40,60	90,73,36 (-)22,67,24
पूरक	1,10,89		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	80,00,00		
		80,00,00	... (-)80,00,00
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,267.24 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 2,267.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 110.89 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2425 सहकारिता

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

मूल	3,683.24		
		3,693.24	2,951.73 (-)741.51
पूरक	10.00		

अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 05 सहकारिता न्यायधिकरण मूल	120.90	120.90	79.76 (-)41.14
(3) 06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण मूल	70.80	71.68	15.40 (-)56.28
पूरक	0.88		
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(4) 02 पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना मूल	20.00	20.00	8.00 (-)12.00
108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता			
(5) 05 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु अनुदान मूल	20.00	20.00	10.00 (-)10.00
(6) 06 राज्य की विभिन्न सहकारी योजनाओं हेतु राज्य सहायता मूल	953.25	653.25	653.25 0.00
पुनर्वि०	(-300.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
800 अन्य व्यय			
(7) 32 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा देय अनुदान मूल	2,000.00	2,000.00	595.36 (-)1,404.64

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (5) तथा (7) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(iv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2425 सहकारिता

00

106 बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता

03 समेकित सहकारी विकास परियोजना

मूल 200.00

पूरक 100.01 600.01 600.01 0.00

पुनर्वि० 300.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (v) ₹ 8,000.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vi) ₹ 5.50 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II) |
- (vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

00

108 अन्य सहकारी समितियों को ऋण

02 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण

मूल 8,000.00 8,000.00 0.00 (-)8,000.00

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत-

मूल	9,10,46,31			
		10,46,66,13	7,58,73,15	(-2,87,92,98
पूरक	1,36,19,82			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 76,77,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,76,22 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत-

मूल	14,03,16,55			
		21,25,83,55	15,96,36,00	(-5,29,47,55
पूरक	7,22,67,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 28,792.98 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

- (ii) ₹ 28,792.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 13,619.82 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,11,799.42	63,234.26	48,565.16
2017-18	1,21,225.33	65,443.91	55,781.42
2018-19	1,00,400.58	79,809.17	20,591.41
2019-20	1,02,613.11	68,316.43	34,296.68
2020-21	1,02,482.02	77,291.18	25,190.84

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06 स्वरोजगार कार्यक्रम

- 102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
| मूल | 5,050.00 | 5,050.00 | 3,722.04 | (-1,327.96) |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
- (2) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश
- | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|----------|
| मूल | 450.00 | 450.00 | 359.18 | (-90.82) |
|-----|--------|--------|--------|----------|

2505 ग्राम रोजगार

02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- 101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- (3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----------|-------------|
| मूल | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,585.27 | (-8,414.73) |
|-----|-----------|-----------|----------|-------------|
- (4) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश
- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
| मूल | 5,600.00 | 5,600.00 | 2,481.24 | (-3,118.76) |
|-----|----------|----------|----------|-------------|

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
<i>00</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान		
	मूल 412.66		
		423.66	351.62 (-)72.04
	पूरक 11.00		
(6)	05 ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं		
	मूल 5,355.70	5,355.70	4,268.33 (-)1,087.37
003 प्रशिक्षण			
(7)	03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)		
	मूल 1,067.11	1,067.11	849.62 (-)217.49
101 पंचायती राज			
(8)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ		
	मूल 59.64		
		60.94	54.35 (-)6.59
	पूरक 1.30		
102 सामुदायिक विकास			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 8,012.24		
	पूरक 7,001.68	15,010.59	10,989.98 (-)4,020.61
	पुनर्वि० (-)3.33		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2021 को ₹ 3.33 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए		
(10)	03 जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान		
	मूल 16,248.82		
	पूरक 15.00	16,243.82	13,718.58 (-)2,525.24
	पुनर्वि० (-)20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2021 को ₹ 20.00 लाख की कमी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए		

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(11)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान मूल	8,077.56			
	पूरक	40.00			
		8,117.56	7,081.04	(-),1,036.52	
(12)	13 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान मूल	40.00	40.00	18.75	(-)21.25
(13)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	50.24	50.24	33.47	(-)16.77
(14)	26 डी०आर०डी०ए० प्रकोष्ठ मूल	42.16	42.16	35.41	(-)6.75
(15)	28 इंदिरा अम्मा भोजनालय के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान मूल	400.00			
	पुनर्वि०	(-)40.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को ₹ 40.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए		360.00	35.83	(-)324.17
(16)	32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	1,561.75			
	पुनर्वि०	20.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2021 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना बजट प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है		1,581.75	1,284.64	(-)297.11
(17)	34 ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग मूल	131.66			
	पूरक	7.00			
		138.66	102.05	(-)36.61	

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
----------------	------------	---------------	--------------------

(₹ लाख में)

(18)	40 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत			
	मूल	3,000.00		
	पूरक	6,000.00	8,700.00	4,000.00
	पुनर्वि०	(-300.00)		(-4,700.00)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए |

(19)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	1,996.70		
	पुनर्वि०	3.33	2,000.03	1,460.34

(-539.69)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 नवम्बर 2021 को ₹ 3.33 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना बजट प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

(20)	97 आईफेड वाह्य सहायतित योजना			
	मूल	500.00		
	पूरक	100.00	600.00	500.00

(-100.00)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (5), (7) से (10), (13) से (17) और (19) से (20) तक अंतिम बचत केंद्र सरकार से जारी की गई धनराशि के सापेक्ष राज्यांश जारी किए जाने तथा निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण था |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (6), (11), (12) तथा (18) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

102 सामुदायिक विकास

29 राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का भुगतान

मूल	20.00	20.00	0.00	(-20.00)
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण अन्य योजना से प्रशासनिक व्यय को किया जाना बताया गया |

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

102 सामुदायिक विकास

35 मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना

मूल 5,575.01

5,615.01 5,615.00 (-)0.01

पुनर्वि० 40.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 52,947.55 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) ₹ 52,947.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 72,267.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 89,145.00

1,39,145.00 91,850.88 (-)47,294.12

पूरक 50,000.00

(2) 03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.वी का भुगतान

मूल 10,000.00

पूरक 8,800.00 16,500.00 16,000.00 (-)500.00

पुनर्वि० (-)2,300.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 2,300.00 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3) 05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान			
मूल	2,000.00		
		4,300.00	1,324.12 (-)2,975.88
पुनर्वि०	2,300.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 2,300.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
103 ग्रामीण विकास			
(4) 03 ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज			
मूल	500.00	500.00	417.11 (-)82.89
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			
(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:			
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
102 सामुदायिक विकास			
12 मेरा गाँव मेरी सड़क			
मूल	700.00		
		931.00	931.00 0.00
पुनर्वि०	231.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को ₹ 231.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2700	मुख्य सिंचाई
2701	मध्यम सिंचाई
2702	लघु सिंचाई
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास

दत्तमत-

मूल	5,20,41,81			
		5,20,41,81	4,45,36,08	(-)75,05,73
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

पूंजीगत:

4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

दत्तमत-

मूल	7,67,66,58			
		8,12,65,45	2,54,17,35	(-)5,58,48,10
पूरक	44,98,87			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 7,505.73 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2016-17	46,165.46	36,108.45	10,057.01	
2017-18	44,419.71	40,761.96	3,657.75	
2018-19	50,017.70	42,796.45	7,221.25	
2019-20	57,771.57	42,394.43	15,377.14	
2020-21	55,926.05	43,072.99	12,853.06	

(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 निदेशन
मूल 4,864.27 4,864.27 3,787.75 (-)1,076.52

(2) 03 कार्यकारी अधिष्ठान
मूल 27,801.71 27,801.71 23,106.98 (-)4,694.73

(3) 04 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कर्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित) हेतु एक मुश्त व्यवस्था
मूल 150.00 150.00 130.25 (-)19.75

(4) 05 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान
मूल 18.84 18.84 1.78 (-)17.06

005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण

(5) 02 डी०पी०आर० निर्माण
मूल 300.00 300.00 212.69 (-)87.31

2702 लघु सिंचाई

02 भूजल

005 अन्वेषण

(6) 03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आंकलन एवं सुदृढीकरण
मूल 3,653.22 3,653.22 3,108.80 (-)544.42
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 97 वाह्य सहायता परियोजना

मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-),000.00
-----	----------	----------	------	------------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

2702 लघु सिंचाई

02 भूजल

005 अन्वेषण

(2) 05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति

मूल	14.16	14.16	0.00	(-),14.16
-----	-------	-------	------	-----------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(3) 06 डी०पी०आर० निर्माण हेतु

मूल	10.00	10.00	0.00	(-),10.00
-----	-------	-------	------	-----------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 55,848.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(vi) ₹ 55,848.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 4,498.87 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>02 नलकूप, नहर एवं लघु नहर निर्माण</i>		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(1)	98 नाबार्ड पोषित		
	मूल	15,000.00	
		12,653.12	9,621.55 (-)3,031.57
	पुनर्वि०	(-2,346.88	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2022 को ₹ 2,346.88 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए		
	<i>13 सौंग बांध का निर्माण</i>		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(2)	02 अन्य व्यय		
	मूल	15,000.00	15,000.00 52.36 (-)14,947.64
	<i>18 बांध बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार</i>		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(3)	02 अन्य व्यय		
	मूल	900.00	900.00 746.16 (-)153.84
	<i>80 सामान्य</i>		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(4)	04 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन.पी.वी./भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि		
	मूल	22,000.00	22,000.00 404.17 (-)21,595.83
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>00</i>		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(5)	02 जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण		
	मूल	700.00	700.00 61.20 (-)638.80
(6)	05 नदियों और झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य		
	मूल	1,500.00	1,500.00 222.12 (-)1,277.88

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>80 सामान्य</i>			
(7)	001 निदेशन तथा प्रशासन 04 फलड प्लेनिंग जोनिंग मूल 300.00	300.00	112.66 (-)187.34
(8)	05 निरीक्षण/कार्यालय भवनों का निर्माण मूल 100.00	100.00	0.29 (-)99.71
(9)	06 बलिया नाला का उपचार मूल 1500.00	1149.85	115.30 (-)1,034.55
	पुनर्वि० (-)350.15 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को ₹ 350.15 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए		
(10)	005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य मूल 100.00	100.00	1.87 (-)98.13
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
(11)	101 सतही जल 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 5,400.00	5,400.00	1,545.70 (-)3,854.30
(12)	102 भूजल 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 820.00	1,720.00	858.00 (-)862.00
	पूरक 900.00		
(13)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 94.00	134.00	95.33 (-)38.67
	पूरक 40.00		

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(14)	800 अन्य व्यय 98 नाबाई मूल	2,000.00	2,000.00	1,091.28	(-)908.72
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
<i>01 बाढ़ नियंत्रण</i>					
(15)	103 सिविल निर्माण कार्य 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,000.00	1,000.00	1.99	(-)998.01
(16)	07 मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यो का संपादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण मूल	1,000.00	4,000.00	2,668.14	(-)1,331.86
	पूरक	3,000.00			
<i>03 जल-निकास</i>					
(17)	103 सिविल निर्माण कार्य 02 अन्य रखरखाव कार्य मूल	200.00	200.00	168.99	(-)31.01
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)					

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय					
<i>00</i>					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,250.01	2,250.01	0.00	(-)2,250.01
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					
(2)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	262.50	262.50	0.00	(-)262.50

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास</i>			
(3)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	02 अन्य व्यय		
	मूल	25.00	25.00
			0.00
			(-)25.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
<i>80 सामान्य</i>			
(4)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	97 बाह्य सहायतित परियोजना		
	मूल	1,000.00	1,000.00
			0.00
			(-)1,000.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>80 सामान्य</i>			
(5)	003 प्रशिक्षण		
	04 प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चीकरण/शोध कार्य		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
(6)	004 अनुसन्धान		
	03 निर्माण कार्य		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(7)	190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
	03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूंजी		
	मूल	100.00	100.00
			0.00
			(-)100.00
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
(8)	101 सतही जल		
	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	630.00	630.00
			0.00
			(-)630.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)		

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02 नलकूप, नहर एवं लघु नहर निर्माण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	02 राज्य पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण		
	मूल	300.00	
		650.15	363.29
			(-)286.86
	पुनर्वि०	350.15	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को ₹ 350.15 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		

4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(2)	98 नाबार्ड पोषित		
	मूल	4,500.00	
		6,846.88	6,713.07
			(-)133.81
	पुनर्वि०	2,346.88	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2022 को ₹ 2,346.88 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		

(x) **उचन्त लेन-देन "उचन्त"**

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है | लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं | तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं | उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं | इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है | अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा |

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बटटे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है |

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं |

वर्ष 2021-22 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट-III एवं IV** में दिया गया है |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 21 ऊर्जा		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2801	बिजली
2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा

दत्तमत-

मूल	14,15,94			
		14,21,54	13,10,32	(-),11,22
पूरक	5,60			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 3,28,82 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

पूंजीगत:

4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	2,78,09,40			
		2,78,09,40	3,87,62,83	(+),1,09,53,43
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्य

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 111.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 111.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 5.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	1,766.12	1,740.97	25.15
2017-18	1,151.21	1,129.08	22.13
2018-19	1,323.86	1,110.86	213.00
2019-20	1,420.13	1,263.81	156.32
2020-21	2,431.70	2,054.48	377.22

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2810 नई और नवीकरणीय ऊर्जा

00

800 अन्य व्यय

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	228.00	228.00	143.03	(-)84.97
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2810 नई और नवीकरणीय ऊर्जा

00

800 अन्य व्यय

95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	15.25	15.25	0.00	(-)15.25
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) अनुदान के अंतर्गत ₹ 10,953.43 लाख की अंतिम व्ययाधिक्य वर्ष 2011-12 के उचित राशि ₹ 24,964.36 लाख के समायोजन के कारण थी | व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है |

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	48,064.02	16,659.30	31,404.72
2017-18	33,900.02	14,232.96	19,667.06
2018-19	31,730.06	24,414.98	7,315.08
2019-20	35,132.55	13,911.54	21,221.01
2020-21	35,300.03	17,055.87	18,244.16

(viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण

03 जल विद्युत निगम को ऋण

मूल	0.00	0.00	24,964.36	(+)24,964.36
-----	------	------	-----------	--------------

वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचंत समायोजन राशि ₹ 24,964.36 लाख |

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश

मूल	7,000.00	7,000.00	5,595.00	(-)1,405.00
-----	----------	----------	----------	-------------

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(2) 04 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि. में अंशपूंजी

मूल	6,000.00	6,000.00	1,700.00	(-)4,300.00
-----	----------	----------	----------	-------------

अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3) 07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश मूल	3,000.00	3,000.00	1,500.00 (-)1,500.00

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण			
(4) 97 बाह्य सहायतित परियोजना मूल	4,800.00	4,800.00	4,008.20 (-)791.80

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(1) 10 जल विद्युत परियोजना हेतु किसान कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
(2) 11 जल विद्युत परियोजना हेतु लाखवाड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
(3) 12 त्यूनी आराकोट जल विद्युत परियोजना में निवेश मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(4) 97 बाह्य सहायतित योजना मूल	3,009.36	3,009.36	0.00 (-)3,009.36

वर्ष 2018-19 से 2020-221 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2059	लोक निर्माण कार्य
2216	आवास
3054	सड़क तथा सेतु

दत्तमत-

मूल	9,57,34,33			
		10,67,48,33	8,67,77,70	(-)1,99,70,63
पूरक	1,10,14,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 27,21 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

भारित-

मूल	9,72,00			
		9,72,00	8,55,21	(-)1,16,79
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	14,02,02,38			
		17,02,02,38	13,10,54,41	(-)3,91,47,97
पूरक	3,00,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 75,82,90 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 19,970.63 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 19,970.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 11,014.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	70,765.91	64,600.64	6,165.27
2017-18	70,545.93	64,183.69	6,362.24
2018-19	87,536.29	71,630.12	15,906.17
2019-20	89,328.10	66,667.78	22,660.32
2020-21	98,685.65	76,969.95	21,715.70

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

80 सामान्य

- 001 निदेशन तथा प्रशासन
- (1) 03 निदेशन

मूल	5,957.20			
		5,963.20	5,014.09	(-)949.11
पूरक	6.00			
- (2) 05 कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु

मूल	400.00	400.00	343.58	(-)56.42
-----	--------	--------	--------	----------
- 051 निर्माण
- (3) 03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड

मूल	48,482.90			
		48,990.90	40,777.03	(-)8,213.87
पूरक	508.00			

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
053 रख-रखाव तथा मरम्मत			
(4) 02 सर्किट हाउस कार्यालय भवनों की निगरानी और रखरखाव-सामान्य मरम्मत			और विशेष
मूल	230.00	230.00	200.67 (-)29.33
3054 सड़क तथा सेतु			
01 राष्ट्रीय राजमार्ग			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,000.00	5,000.00	104.73 (-)4,895.27
03 राज्य राजमार्ग			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(6) 05 सड़क सुरक्षा			
मूल	700.00	700.00	347.80 (-)352.20
04 जिला एवं अन्य सड़के			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(7) 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत			
मूल	33,374.23	43,874.23	38,462.09 (-)5,412.14
पूरक	10,500.00		
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।			

**राजस्व:
भारित-**

- (v) ₹ 116.79 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	740.00	601.77	138.23
2017-18	730.00	334.80	395.20
2018-19	1,100.00	486.57	613.43
2019-20	746.00	469.00	277.00
2020-21	1,100.00	753.89	346.11

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2216 आवास

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 राजभवन (देहरादून एवं नैनीताल)

मूल	105.00	105.00	89.66	(-)15.34
-----	--------	--------	-------	----------

3054 सड़क तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़के

337 सड़क निर्माण कार्य

(2) 06 न्यायालयों की आज्ञासियों का भुगतान (भारित)

मूल	500.00	500.00	415.54	(-)84.46
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(viii) ₹ 39,147.97 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) ₹ 39,147.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 30,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 03 लोक निर्माण (चालू कार्य)

मूल	470.00	470.00	171.64	(-)298.36
-----	--------	--------	--------	-----------

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राजमार्ग			
052 मशीनरी तथा उपकरण			
(2)	04 उपकरण एवं सयंत्र का क्रय		
	मूल	100.00	100.00
			78.84
			(-)21.16
(3)	05 नई खरीद		
	मूल	300.00	300.00
			258.33
			(-)41.67
101 पुल			
(4)	03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण		
	मूल	2,682.70	2,682.70
			2,393.48
			(-)289.22
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	14,000.00	
			34,000.00
			23,045.69
			(-)10,954.31
	पूरक	20,000.00	
(6)	03 स्टेट सेक्टर		
	मूल	85,368.70	
			95,368.70
			80,744.38
			(-)14,624.32
	पूरक	10,000.00	
(7)	06 क्रानिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था		
	मूल	560.98	560.98
			60.97
			(-)500.01
(8)	97 वाह्य सहायतित योजना/ ए.डी.बी./विश्व बैंक सहायतित योजना के अंतर्गत सुदृढीकरण		
	मूल	300.00	300.00
			19.84
			(-)280.16
(9)	98 नाबार्ड पोषित		
	मूल	33,000.00	33,000.00
			22,127.55
			(-)10,872.45

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

	05 सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(10)	02 एस.पी.ए. के अंतर्गत पुलों/ सड़कों का निर्माण			
	मूल	1,000.00	1,000.00	500.00 (-)500.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

	80 सामान्य			
	051 निर्माण			
(1)	02 लोक निर्माण (नए कार्य)			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

	05 सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(2)	03 मुख्य नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे डक्ट का निर्माण			
	मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

	80 सामान्य			
	190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(3)	03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूजी/भारत सरकार के कार्य पर सेंटेज			
	मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

(xii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है | लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं | तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं | उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त |

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं | इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है | अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा |

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है |

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं |

वर्ष 2021-22 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्योरा परिशिष्ट- V में दिया गया है |

अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत-

मूल	2,86,15,33			
		3,94,11,47	2,77,30,05	(-)1,16,81,42
पूरक	1,07,96,14			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...				

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 36,69,19 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 1,55,78 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

पूंजीगत:

4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	67,10,03			
		69,50,03	13,95,42	(-)55,54,61
पूरक	2,40,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...				

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 9,77,80 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 11,681.42 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

- (ii) ₹ 11,681.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 10,796.14 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	23,057.76	12,417.98	10,639.78
2017-18	18,345.47	14,044.13	4,301.34
2018-19	25,087.27	19,783.36	5,303.91
2019-20	29,618.75	22,130.60	7,488.15
2020-21	36,847.68	22,220.87	14,626.81

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान
मूल 1,247.15

1,232.65 842.91 (-)389.74

पुनर्वि० (-)14.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2021 को ₹ 14.50 लाख की कमी सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए ।

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

- (2) 03 अधिष्ठान व्यय
मूल 2,142.08

2,172.43 1,774.39 (-)398.04

पुनर्वि० 30.35

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 नवम्बर 2021 को ₹ 32.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, गाड़ियों का अनुरक्षण, संचालन तथा ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2022 को ₹ 1.65 लाख की कमी प्रशिक्षण में हुई बचत के कारण किए गए ।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	21 क्लस्टर विकास योजना मूल	100.00	100.00	56.40 (-)43.60
(4)	35 स्टार्टअप और स्टैंडअप उधमिता विकास मूल	200.00	200.00	77.72 (-)122.28
(5)	40 अंतर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला मूल	600.00	600.00	22.91 (-)577.09
(6)	50 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मूल	4,000.00	14,000.00	3,100.00 (-)10,900.00
	पूरक	10,000.00		
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग				
02 खानों का विनियमन तथा विकास				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(7)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल	1,434.91	1,474.91	1,197.87 (-)277.04
	पूरक	40.00		
(8)	04 राज्य खनिज विकास परिषद मूल	30.00	30.00	1.88 (-)28.12
102 खनिज खोज				
(9)	03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना मूल	25.00	25.00	0.24 (-)24.76
(10)	04 खनन सर्विलांस मूल	53.00	53.00	40.12 (-)12.88

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

004 अनुसंधान और विकास

(11)	09 उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना			
	मूल	287.70	287.70	215.00 (-)72.70

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(1)	18 उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना			
	मूल	6.35	6.35	0.00 (-)6.35

(2)	27 माटी कला परिषद के लिए सहायता			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

(3)	47 एम०एस०एम०इ० की केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यांश			
	मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00

(4)	48 ग्रोथ सेंटर की स्थापना			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(5)	49 विभिन्न नीति के तहत उद्योगों को अनुदान			
	मूल	1,000.00		

968.00 0.00 (-)968.00

पुनर्वि० (-)32.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को ₹ 32.00 लाख की कमी (सहायक अनुदान सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

103 हथकरघा उद्योग			
(6) 16 हथकरघा, कताई-बुनाई करने वाली महिला कर्मकारों को सहायता			
मूल	5.00	5.00	0.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5.00

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

600 अन्य योजनाएं

(7) 04 राज्य की आई.टी. नीति के प्रतिपूर्ति/अनुदान			
मूल	5.00	5.00	0.00
वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00

104 अन्य साधनों से मुद्रण की लागत

(1) 03 छपाई की लागत			
मूल	15.00		
		29.50	29.49
पुनर्वि०	14.50		(-)0.01

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2021 को ₹ 14.50 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
00			
102 लघु उद्योग			
(2) 23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहायता			
मूल	3,500.00		
		1,233.00	3,625.59 (+)2,392.59
पुनर्वि०	(-)-2,267.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को ₹ 2,267.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई प्रावधान में कमी किया जाना तत्पश्चात अंतिम आधिक्य का प्राप्त होना बजट प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(3) 32 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना			
मूल	3,500.00		
		5,767.00	5,759.83 (-)7.17
पुनर्वि०	2,267.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को ₹ 2,267.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
103 हथकरघा उद्योग			
(4) 17 राज्य डिजाइन केन्द्र काशीपुर का सुधारीकरण और एपारेल प्रशिक्षण योजना			
मूल	20.00		
		24.86	24.86 0.00
पुनर्वि०	4.86		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को ₹ 4.86 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

004 अनुसंधान और विकास

(5) 05 अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता
मूल 227.00

247.00 247.00 0.00

पुनर्वि० 20.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2022 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ते के लिए सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 5,554.61 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 5,554.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 240.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	17,351.01	13,884.53	3,466.48
2017-18	6,374.28	597.59	5,776.69
2018-19	7,336.01	2,668.46	4,667.55
2019-20	4,869.37	2,671.22	2,198.15
2020-21	11,050.04	1,010.71	10,039.33

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

(1) 11 ग्रोथ सेंटर का संचालन

मूल 1,500.00 1,500.00 131.85 (-)1,368.15

अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(2)	98 नाबार्ड पोषित मूल	1,000.00	1,000.00	195.77	(-)804.23
-----	----------------------	----------	----------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	900.00	900.00	0.00	(-)900.00
-----	---	--------	--------	------	-----------

(2)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	105.00	105.00	0.00	(-)105.00
-----	---	--------	--------	------	-----------

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रॉनिक्स

004 अनुसंधान और विकास

(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,206.00	1,206.00	0.00	(-)1,206.00
-----	---	----------	----------	------	-------------

(4)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	1,109.00	1,109.00	0.00	(-)1,109.00
-----	---	----------	----------	------	-------------

800 अन्य व्यय

(5)	12 राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई जोन मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	---	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2041	वाहन कर
3053	नागर विमानन
3055	सड़क परिवहन

दत्तमत-

मूल	1,75,80,30			
		2,18,36,30	1,54,40,84	(-)63,95,46
पूरक	42,56,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	3,14,71,54			
		4,30,59,80	1,09,63,31	(-)3,20,96,49
पूरक	1,15,88,26			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,47,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1) |

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 6,395.46 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

- (ii) ₹ 6,395.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 4,256.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	6,526.11	5,356.98	1,169.13
2017-18	5,902.65	4,959.37	943.28
2018-19	10,024.67	7,474.48	2,550.19
2019-20	12,236.09	10,280.67	1,955.42
2020-21	23,492.16	17,927.10	5,565.06

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2041 वाहन कर

00

800 अन्य व्यय

(1)	03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान				
	मूल	36.75			
			60.75	47.60	(-)13.15
	पूरक	24.00			

3053 नागर विमानन

02 विमान पतन

102 हवाई अड्डा

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,000.00	1,000.00	52.71	(-)947.29

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(3)	03 नागरिक उड्डयन				
	मूल	146.13	146.13	95.22	(-)50.91

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
3055 सड़क परिवहन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4) 03 परिवहन संबन्धी अधिष्ठान			
मूल	4,384.85		
		4,416.85	3,870.72
पूरक	32.00		(-)546.13
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(5) 03 परिवहन निगम की बसों से निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निः शुल्क यात्रा की सुविधा/डीबीटी के लिए निगम को प्रतिकार भुगतान			
मूल	2,000.00		
		1,966.00	256.81
पुनर्वि०	(-)34.00		(-)1,709.19
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जून 2021 को ₹ 34.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(6) 12 उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलसवरूप होने वाली हानि के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति			
मूल	6,000.00		
पूरक	4,200.00	10,234.00	8,312.77
पुनर्वि०	34.00		(-)1,921.23
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जून 2021 को ₹ 34.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
3053 नागर विमानन			
02 विमान पत्तन			
102 हवाई अड्डा			
(1) 10 राज्य सरकार द्वारा उडान योजना के तहत अनुदान			
मूल	250.00	250.00	0.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2)	07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान			
	मूल	16.87	16.87	0.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)16.87

800 अन्य व्यय

(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	842.50	842.50	0.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)842.50

(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	98.20	98.20	0.00
				(-)98.20

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 32,096.49 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 32,096.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 11,588.26 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	7,000.03	2,558.65	4,441.38
2017-18	15,213.06	13,290.41	1,922.65
2018-19	18,781.35	1,395.18	17,386.17
2019-20	17,350.02	3,047.35	14,302.67
2020-21	44,806.02	4,885.88	39,920.14

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

- (1) 07 हवाई पट्टी के निर्माण/विस्तार हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकार/अध्याप्ति/एन०पी०वी० का भुगतान

मूल 15,000.00

13,500.00 74.24 (-)13,425.76

पुनर्वि० (-)1,500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को ₹ 1,500.00 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किए गए |

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

050 भूमि तथा भवन

- (2) 13 रामनगर में अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे की स्थापना

मूल 300.00 300.00 21.28 (-)278.72

- (3) 15 बस अड्डों का निर्माण

मूल 1,000.00 1,000.00 252.13 (-)747.87

800 अन्य व्यय

- (4) 03 चालकों के प्रशिक्षण हेतु आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण

मूल 100.00 100.00 53.96 (-)46.04

7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

00

101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण

- (5) 07 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ऋण

मूल 0.00

8,188.26 4,788.26 (-)3,400.00

पूरक 8,188.26

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
02 विमान पत्तन			
102 हवाई अड्डा			
(1) 02 हवाई पट्टी/वाटर एयरो ड्रम का निर्माण			
मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
(2) 08 चौखुटिया में हवाई पट्टी निर्माण/भूमि क्रय			
मूल	2,000.01	2,000.01	0.00 (-)2,000.01
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
050 भूमि तथा भवन			
(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,170.00	1,170.00	0.00 (-)1,170.00
(4) 03 परिवहन आयुक्त/संभागीय कार्यालय के अनावासीय भवन भूमि क्रय			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(5) 06 मुजफ्फरनगर-रूड़की रेल लाइन का निर्माण			
मूल	7,000.00	7,000.00	0.00 (-)7,000.00
(6) 07 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना			
मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(7) 08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(8) 10 हल्द्वानी में आई.एस.बी.टी. की स्थापना (एस.पी.ए.)			
मूल	1,000.00	1,000.00	0.00 (-)1,000.00
वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9) 16 नरेंद्र नगर में बस अड्डे का निर्माण			
मूल	100.00	100.00	0.00
वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)100.00
(10) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	241.50	241.50	0.00
			(-)241.50

7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

00

101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण

(11) 06 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को वी०आर०एस० हेतु कर्ज			
मूल	1,000.01	1,000.01	0.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)1,000.01

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

5053 नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

03 हेलीपैड और हैंगर का निर्माण

मूल	600.00			
		2,100.00	1,223.56	(-)876.44

पुनर्वि० 1,500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत-

मूल	1,63,47,36			
		1,63,57,86	1,03,07,17	(-)60,50,69
पूरक	10,50			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...			

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 100 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	5,18,02,00			
		5,18,02,00	5,12,66,92	(-)5,35,08
पूरक	...			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...			

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 6,050.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 6,050.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 10.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	37,726.58	20,560.29	17,166.29
2017-18	23,770.61	18,235.07	5,535.54
2018-19	25,769.11	17,123.37	8,645.74
2019-20	22,558.98	4,852.17	17,706.81
2020-21	22,314.17	9,213.81	13,100.36

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01 खाद्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 04 राज्य खाद्य आयोग

मूल	70.34	70.34	17.31	(-)53.03
-----	-------	-------	-------	----------

(2) 05 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव

मूल	300.00	300.00	239.90	(-)60.10
-----	--------	--------	--------	----------

102 खाद्य सहायता

(3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	5,000.00	5,000.00	3,851.30	(-)1,148.70
-----	----------	----------	----------	-------------

(4) 05 शक्कर वितरण योजना अंतर्गत परिवहन एवं टैक्स का भुगतान

मूल	1,000.00	1,000.00	285.52	(-)714.48
-----	----------	----------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

	01 खाद्य			
	102 खाद्य सहायता			
(1)	06 राज्य खाद्यान्न योजना			
	मूल	4,000.00		
			3,357.50	0.00
	पुनर्वि०	(-642.50)		(-3,357.50)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को ₹ 350.00 लाख, दिनांक 13 जनवरी 2022 को ₹ 178.50 लाख, दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 106.00 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2022 को ₹ 8.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए			

3456 सिविल पूर्ति

	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	9.02	9.02	0.00
				(-9.02)
	102 सिविल आपूर्ति योजना			
(3)	02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान			
	मूल	25.00	25.00	0.00
				(-25.00)

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

	00			
	106 भार और माप का विनियमन			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	200.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-200.00)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

3456 सिविल पूर्ति

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय

मूल 640.12

पूरक 10.50 756.62 715.85 (-)40.77

पुनर्वि० 106.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 106.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(2) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 1.06

201.06 200.00 (-)1.06

पुनर्वि० 200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 535.08 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) ₹ 1,869.64 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II) |

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय

02 भंडारण तथा भांडागार

800 अन्य व्यय

06 गोदामों का निर्माण

मूल 150.00 150.00 110.00 (-)40.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

101 खरीद और पूर्ति

(1) 95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

मूल	100.50	100.50	0.00	(-)100.50
-----	--------	--------	------	-----------

800 अन्य व्यय

(2) 08 संभागीय खाद्य नियंत्रक/वी.वी. अधिकारी/गढवाल एवं कुमाऊं के उपायुक्त आयुक्त (मुख्यालय) कार्यालय भवन का निर्माण

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

3452 पर्यटन

दत्तमत-

मूल	1,13,56,71		
		1,28,68,91	79,19,95 (-)49,48,96
पूरक	15,12,20		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,22,39,81		
		1,52,39,81	1,11,22,53 (-)41,17,28
पूरक	30,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,948.96 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 4,948.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 1,512.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	5,868.03	3,998.78	1,869.25
2017-18	6,677.14	5,836.84	840.30
2018-19	7,701.96	6,206.35	1,495.61
2019-20	9,875.11	5,752.30	4,122.81
2020-21	10,491.05	6,490.35	4,000.70

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद				
	मूल	5,840.00	5,840.00	4,641.07	(-),198.93
(2)	04 यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान (अनुदान सं. 07 से स्थानांतरित)				
	मूल	23.82			
			24.02	17.54	(-),6.48
	पूरक	0.20			
(3)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)				
	मूल	437.36	437.36	378.48	(-),58.88
(4)	09 केदारनाथ विकास प्राधिकरण और टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण				
	मूल	510.00	510.00	428.98	(-),81.02
(5)	12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी				
	मूल	128.77			
			140.77	119.76	(-),21.01
	पूरक	12.00			

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...				
क्रम सं०	शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	16 श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट			
	मूल	0.00		
	पूरक	1,500.00	1,180.34	(-)319.66
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(7)	07 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना			
	मूल	1,500.00	320.00	(-)1,180.00
(8)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैंटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	416.76	308.03	(-)108.73
(9)	24 उत्तराखण्ड के योग महोत्सव			
	मूल	200.00	100.00	(-)100.00
(10)	25 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना			
	मूल	500.00	225.75	(-)274.25
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	11 दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना			
	मूल	100.00	0.00	(-)100.00
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(2)	26 उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान			
	मूल	1,500.00	0.00	(-)1,500.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।			

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (vi) ₹ 4,117.28 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 4,117.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 3,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	18,990.03	11,825.96	7,164.07
2017-18	6,330.04	5,808.30	521.74
2018-19	11,258.72	5,747.81	5,510.91
2019-20	13,260.02	8,869.07	4,390.95
2020-21	18,054.20	12,330.69	5,723.51

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(1)	09 उत्तराखण्ड ग्रामीण उत्थान (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम) योजना				
	मूल	500.00	500.00	118.60	(-)381.40
(2)	95 केंद्रीय योजाना में राज्य का अंश				
	मूल	300.66	300.66	214.92	(-)85.74
	800 अन्य व्यय				
(3)	02 के.एम.बी.एन./जी.एम.बी.एन. को सहायता अनुदान				
	मूल	596.15	596.15	451.47	(-)144.68

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

<i>01 पर्यटक अवसंरचना</i>			
101 पर्यटन केन्द्र			
(1)	03 इको टूरिज्म		
	मूल	500.00	
		0.00	0.00
		0.00	0.00

पुनर्वि० (-)500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को ₹ 500.00 लाख की कमी वृहद कार्य में हुई बचत के कारण किए गए | वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार			
(2)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं		
	मूल	3,800.00	
		0.00	0.00
		0.00	0.00

पुनर्वि० (-)3,800.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को ₹ 3,800.00 लाख की कमी वृहद कार्य तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में हुई बचत के कारण किए गए |

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

<i>80 सामान्य</i>			
104 संवर्धन तथा प्रचार			
04 राज्य क्षेत्र			
	मूल	6,093.00	
	पूरक	3,000.00	13,393.00
	पुनर्वि०	4,300.00	9,922.31
			(-)3470.69

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को ₹ 4,300.00 लाख की वृद्धि भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

दत्तमत-

मूल	11,31,15,75			
		12,98,09,11	11,20,66,37	(-),77,42,74
पूरक	1,66,93,36			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,12,24 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	75,43,23			
		75,43,23	45,69,03	(-),29,74,20
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 17,742.74 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 17,742.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 16,693.36 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

क्रम सं०	शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	64,838.35	43,830.77	21,007.58
2017-18	63,379.87	55,089.43	8,290.44
2018-19	74,216.69	61,353.90	12,862.79
2019-20	1,03,027.35	63,128.38	39,898.97
2020-21	1,06,716.11	77,999.33	28,716.78

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

01 वानिकी

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 सामान्य अधिष्ठान

मूल	48,826.06	49,326.06	40,391.90	(-)8,934.16
पूरक	500.00			

(2) 06 उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद

मूल	32.59	32.59	3.30	(-)29.29
-----	-------	-------	------	----------

(3) 08 कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य

मूल	106.16	156.16	140.40	(-)15.76
पूरक	50.00			

003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण

(4) 02 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास

मूल	89.51	89.51	73.73	(-)15.78
-----	-------	-------	-------	----------

101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	3,956.20	4,804.32	3,241.78	(-)1,562.54
पूरक	848.12			

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	15 गुर्जर एवं अन्य प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास योजना मूल 85.00	61.00	60.98 (-)0.02
	पुनर्वि० (-)24.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 24.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए		
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 621.00	646.26	324.85 (-)321.41
	पूरक 94.24		
	पुनर्वि० (-)68.98		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 67.91 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 1.07 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए		
(8)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 09 हमारा पेड़ हमारा धन योजना मूल 21.00	21.00	15.79 (-)5.21
(9)	11 बगान मूल 1,50.00	1,50.00	1,08.92 (-)41.08
(10)	97 वानिकी परियोजना (विश्व बैंक पोषित) मूल 11,000.00	11,000.00	9,000.00 (-)2,000.00
(11)	800 अन्य व्यय 50 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना मूल 240.92	240.92	212.41 (-)28.51
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
(12)	110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 4,436.06	4,436.06	1,206.13 (-)3,229.93

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13) 05 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को सहायता मूल 55.00	28.49	28.49	0.00
पुनर्वि० (-)26.51 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 26.51 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(14) 10 टाइगर फाउंडेशन को सहायता मूल 1,200.00	1,200.00	1,000.00	(-)200.00
(15) 13 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए का संरक्षण मूल 22.00	22.00	15.40	(-)6.60
(16) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 538.00	606.98	366.12	(-)240.86
पुनर्वि० 68.98 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 67.91 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 1.07 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को पर्दर्शित करता है			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (5), (7) से (12) तथा (14) से (16) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

00

(1) 101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 318.08	318.08	0.00	(-)318.08
---	--------	------	-----------

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

	04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास		
	103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा		
(2)	05 कैम्पा के अंतर्गत समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम		
	मूल	500.00	500.00
		0.00	(-)500.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

01 वानिकी

070 संचार तथा भवन

03 वन संचार, साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन

मूल 200.00

250.51 230.49 (-)20.02

पुनर्वि० 50.51

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 50.51 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 2,974.20 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास

(1) 03 वन मोटर मार्गों, ट्रैक रूटों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण

मूल 350.01

350.01 89.65 (-)260.36

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	कुल अनुदान				
(2)	10 अनुसन्धान एवं तकनीकी विकास मूल	50.00	50.00	19.35	(-)30.65
(3)	11 वनों की सुरक्षा योजना मूल	221.33	221.33	116.05	(-)105.28
(4)	12 वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना मूल	202.36	202.36	43.50	(-)158.86
(5)	13 वर्षा जल संरक्षण योजना मूल	100.00			
	पुनर्वि०	(-)78.44	21.56	21.56	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2022 को ₹ 78.44 लाख की कमी वृहद कार्य में हुई बचत के कारण किए गए				
(6)	15 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना मूल	200.00	200.00	152.32	(-)47.68
(7)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 03 औषधीय पौधों का संरक्षण मूल	100.00	100.00	78.01	(-)21.99
(8)	800 अन्य व्यय 09 इको टूरिज्म मूल	100.00	100.00	30.32	(-)69.68
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव				
(9)	110 वन्य जीव 06 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम मूल	300.00	300.00	38.46	(-)261.54

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

111 जीव पार्क			
(10) 02 मालसी जू का विस्तारीकरण और सुदृढीकरण			
मूल	50.00		
		23.84	5.17
पुनर्वि०	(-26.16)		(-18.67)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2022 को ₹ 26.16 लाख की कमी वृहद कार्य में हुई बचत के कारण किए गए			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	73.00	73.00	0.00
				(-73.00)
(2)	04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-300.00)
(3)	08 आग से वनों की सुरक्षा			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	8.50	8.50	0.00
				(-8.50)
	800 अन्य व्यय			
(5)	11 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना के पूंजीगत कार्य			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-100.00)		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2022 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद कार्य में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

अनुदान सं० 27 वन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीव			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,305.01	1,305.01	0.00 (-)1,305.01
(7)	04 जीवों के वास स्थलों का विकास			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2022 को ₹ 50.00 लाख की कमी वृक्षारोपण में हुई बचत के कारण किए गए			
(8)	95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
	मूल	153.00	153.00	0.00 (-)153.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (4), (6) तथा (8) पर सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 वन्य जीव परिरक्षण

02 हल्द्वानी में चिड़ियाघर का निर्माण

मूल
 0.01 | | | || | | | 284.61 | 284.60 (-)0.01 |
| | पुनर्वि० | 284.60 | | |
| | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2022 को ₹ 284.60 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | | | | |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन

दत्तमत-

मूल	3,87,06,50			
		4,03,40,64	3,30,14,51	(-)73,26,13
पूरक	16,34,14			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...				

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 47,96 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 5,77,49 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

पूंजीगत:

4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
4404	दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	27,49,30			
		30,49,30	8,14,54	(-)22,34,76
पूरक	3,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022) ...				

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 7,326.13 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 7,326.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 1,634.14 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	27,768.35	20,381.39	7,386.96
2017-18	26,082.30	23,849.63	2,232.67
2018-19	31,617.49	29,078.31	2,539.18
2019-20	34,401.62	29,372.10	5,029.52
2020-21	40,245.98	32,183.80	8,062.18

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2403 पशु पालन

00

101 पशु चिकित्सा सेवार्य तथा पशु स्वास्थ्य

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	856.71			
पूरक	701.30	1,547.49	0.44	(-)1,547.05
पुनर्वि०	(-)10.52			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 10.52 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |
- (2) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	105.60			
पूरक	69.52	185.64	10.29	(-)175.35
पुनर्वि०	10.52			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 10.52 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 पशु तथा भैंस विकास			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	485.00	485.00	47.40
				(-)437.60
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	51.00	51.00	44.45
				(-)6.55
	106 अन्य पशुधन विकास			
(5)	98 नाबार्ड पोषित मूल	500.00		
			576.55	476.64
	पूरक	76.55		
				(-)99.91
	107 चारा और चारागाह विकास			
(6)	03 चारा बैंकों की स्थापना (भंडारण/वितरण गृह) (राज्य क्षेत्र) मूल	69.21	69.21	1.21
				(-)68.00
	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	112.04	112.04	56.62
				(-)55.42
(8)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	0.01		
			55.91	48.15
	पूरक	55.90		
				(-)7.76
	2404 डेरी विकास			
	00			
	102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(9)	12 गंगा-गाय महिला डेयरी विकास योजना मूल	600.00	600.00	238.20
				(-)361.80

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	15 साईंलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना/मुख्यमंत्री घस्यारी योजना मूल 2,500.00	1,900.00	1,569.47 (-)330.53
	पुनर्वि० (-)600.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए		
(11)	16 पशुचारा परिवहन अनुदान योजना मूल 300.00	300.00	182.47 (-)117.53
(12)	98 नाबार्ड मूल 700.00	1,050.00	191.73 (-)858.27
	पूरक 350.00		
2405 मछली पालन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13)	03 अधिष्ठान मूल 1,218.23	1,218.23	1,096.28 (-)121.95
(14)	101 अन्तर्देशीय मछली पालन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,588.72	1,588.72	1,232.62 (-)356.10
(15)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 199.05	199.06	136.90 (-)62.16
	पूरक 0.01		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2403 पशु पालन

00

102 पशु तथा भैंस विकास

(1) 11 पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना

मूल 150.00

119.40 0.00 (-)119.40

पुनर्वि० (-)30.60

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 30.60 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

2404 डेरी विकास

00

102 डेयरी विकास परियोजनाएं

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(3) 08 सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

मूल 30.00

0.01 0.00 (-)0.01

पुनर्वि० (-)29.99

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2021 को ₹ 29.99 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए | वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

2405 मछली पालन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 27.00 27.00 0.00 (-)27.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2404 डेरी विकास

00

(1)	102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
	03 डेरी विकास की योजना			
	मूल	250.00		
			550.00	545.41
				(-)4.59
	पुनर्वि०	300.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(2)	10 दुग्धशाला का सुदृढीकरण			
	मूल	50.00		
			79.99	79.99
				0.00
	पुनर्वि०	29.99		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2021 को ₹ 29.99 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(3)	14 दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना			
	मूल	1,00.00		
			4,00.00	3,42.48
				(-)57.52
	पुनर्वि०	3,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 2,234.76 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 2,234.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 300.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,138.51	831.92	306.59
2017-18	784.41	363.85	420.56
2018-19	2,727.78	896.86	1,830.92
2019-20	3,762.69	1,322.73	2,439.96
2020-21	2,895.55	848.89	2,046.66

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

(1)	09 पशुपालन विभाग में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य			
	मूल	5.00		
	पूरक	300.00	305.00	132.76 (-)172.24

106 अन्य पशुधन विकास

(2)	98 नाबाई पोषित			
	मूल	700.00	700.00	502.34 (-)197.66

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 अन्तर्देशीय मछली पालन

(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	847.00	847.00	22.02 (-)824.98
(4)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	97.20	97.20	0.78 (-)96.42
(5)	98 नाबाई			
	मूल	1,000.00	1,000.00	107.41 (-)892.59

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	18.00	18.00	0.00	(-)18.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

4404 दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय

00

	102 डेरी विकास परियोजनायें				
(2)	04 डेरी विकास निदेशालय निर्माण कार्य				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(3)	03 मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 29 औधानिक विकास				
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	
राजस्व:				
2401 फसल कृषि कर्म				
दत्तमत-				
मूल	3,67,22,82			
		4,01,86,03	3,32,33,98	(-)69,52,05
पूरक	34,63,21			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,49,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई				
भारित-				
मूल	1,62,43			
		1,62,43	1,47,06	(-)15,37
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...
पूंजीगत:				
4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत-				
मूल	20,50,00			
		20,94,35	15,94,27	(-)5,00,08
पूरक	44,35			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...
टिप्पणियां एवं टीकायें				
राजस्व:				
दत्तमत-				
(i)	₹ 6,952.05 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी			

अनुदान सं० 29 औषधानिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	------------------------------------

- (ii) ₹ 6,952.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 3,463.21 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	25,967.56	21,021.30	4,946.26
2017-18	27,110.74	21,563.47	5,547.27
2018-19	30,744.45	26,282.24	4,462.21
2019-20	32,885.99	26,087.16	6,798.83
2020-21	42,067.36	32,351.15	9,716.21

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

- 119 बागवानी और सब्जियों की फसलें
- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
| मूल | 6,219.02 | 6,219.02 | 2,627.35 | (-3,591.67) |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
- (2) 07 शहत्त की खेती एवं रेशम विकास
- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|-----------|
| मूल | 1,641.99 | 1,696.74 | 1,461.51 | (-235.23) |
|-----|----------|----------|----------|-----------|
- पुनर्वि० 54.75
- प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2022 को ₹ 54.75 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना बजट के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |
- (3) 09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान
- | | | | | |
|-----|----------|----------|--------|-----------|
| मूल | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | (-500.00) |
|-----|----------|----------|--------|-----------|
- (4) 18 भेषज कृषि विकास
- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| मूल | 45.00 | 45.00 | 37.51 | (-7.49) |
|-----|-------|-------|-------|---------|

अनुदान सं० 29 औषानिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (रु लाख में)
(5) 34 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना मूल	1,700.00		
	836.74	746.26	(-)90.48
पुनर्वि०	(-)863.26		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2022 को रु 54.75 लाख, दिनांक 25 जनवरी 2022 को रु 71.42 लाख, दिनांक 25 फरवरी 2022 को रु 370.30 लाख दिनांक 25 मार्च 2022 को रु 133.77 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को रु 233.02 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(6) 35 प्रत्येक जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम की स्थापना मूल	0.00		
	100.00	53.40	(-)46.60
पूरक	100.00		
(7) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	735.25	735.25	388.48
			(-)346.77
(8) 97 वाह्य सहायतित परियोजना मूल	500.00		
	19.80	19.80	0.00
पुनर्वि०	(-)480.20		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को रु 480.20 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (7) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 23 एंटी हेल नेट योजना (25 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी) मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00
वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

अनुदान सं० 29 औषधानिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 28 कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की स्थापना (माल्टा, पहाड़ी निम्बू, गलगल आदि)			
मूल	175.00		
		75.80	0.00
पुनर्वि०	(-99.20)		(-75.80)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2021 को ₹ 25.00 लाख, दिनांक 25 जनवरी 2022 को ₹ 10.20 लाख, दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 24.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2022 को ₹ 40.00 लाख की कमी सॉलिसिडी में हुई बचत के कारण किए गए			
(3) 32 राज्य/भेषज संघों की नर्सरियों के विकास और संवर्धन के लिए योजना			
मूल	10.00	10.00	0.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-10.00)
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें				
(1) 14 पुराने उद्यानों की घेरबाड़				
मूल	100.00			
		124.00	112.91	(-11.09)
पुनर्वि०	24.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 24.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				
(2) 26 सगंध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के कलस्टर विकास (09 से स्थानांतरित)				
मूल	1,850.00	1,850.00	2,099.99	(+249.99)
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)				

अनुदान सं० 29 औधानिक विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 15.37 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (viii) ₹ 500.08 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ix) ₹ 500.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 को प्राप्त ₹ 44.35 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (x) ₹ 776.26 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II) |
- (xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रसार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2701	मध्यम सिंचाई		
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास		
2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	14,25,17,00	15,07,60,08	8,70,61,78	(-)6,36,98,30
पूरक	82,43,08			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,48,56 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-)
(₹ हजार में)			

अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 50,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	4,51,84,80			
		6,16,85,11	3,13,81,05	(-)3,03,04,06
पूरक	1,65,00,31			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 2,36,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	--

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्वः

दत्तमत-

- (i) ₹ 63,698.30 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 63,698.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 8,243.08 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	1,24,111.21	69,890.43	54,220.78
2017-18	1,00,620.97	76,108.62	24,512.35
2018-19	1,20,062.34	87,954.75	32,107.59
2019-20	1,20,953.24	82,957.32	37,995.92
2020-21	1,21,166.22	93,289.04	27,877.18

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

- (1) 03 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति मूल
- | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| | 2,755.43 | 2,755.43 | 2,017.33 | (-)738.10 |
|--|----------|----------|----------|-----------|

112 स्कूलों को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल
- | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------------|
| | 4,000.00 | | | |
| | | 3,810.11 | 2,017.34 | (-)1,792.77 |

पुनर्वि० (-)189.89

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 189.89 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>		
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय		
(3)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल 2,000.87	2,000.87	1,749.99 (-)250.88
	113 समग्र शिक्षा		
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 9,084.67	9,084.67	7,754.37 (-)1,330.30
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	<i>03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति</i>		
	110 अस्पताल तथा औषधालय		
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 8,000.01		
		11,333.01	6,608.00 (-)4,725.01
	पूरक 3,333.00		
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल 800.00		
		1,262.45	796.11 (-)466.34
	पूरक 462.45		
	<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>		
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण		
(7)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी		
	मूल 632.00	632.00	186.90 (-)445.10
	2211 परिवार कल्याण		
	<i>00</i>		
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं		
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 1,149.24	1,149.24	817.52 (-)331.72

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800 अन्य व्यय			
(9) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	27.00	27.00	12.00
			(-)15.00
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10) 07 एस.सी.पी/टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
मूल	91.58	91.58	73.17
			(-)18.41
102 आर्थिक विकास			
(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	3,062.20		
		3,087.20	910.00
			(-)2,177.20
पुनर्वि०	25.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(12) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना			
मूल	19.36	19.36	6.70
			(-)12.66
(13) 06 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 का कार्यान्वयन			
मूल	152.50		
		131.25	0.90
			(-)130.35
पुनर्वि०	(-)21.25		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 21.25 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(14) 07 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता			
मूल	2,200.00	2,200.00	1,813.50
			(-)386.50

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
277 शिक्षा			
(15) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	12,096.51		
		12,071.51	394.67 (-)11,676.84
पुनर्वि०	(-25.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 25.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(16) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
मूल	354.29		
		373.27	280.65 (-)92.62
पुनर्वि०	18.98		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2022 को ₹ 18.98 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(17) 06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
मूल	728.08		
		676.17	324.31 (-)351.86
पुनर्वि०	(-51.91)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को ₹ 13.50 लाख, दिनांक 05 जनवरी 2022 को ₹ 18.98 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2022 को ₹ 19.43 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(18) 12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
मूल	609.04	609.04	252.51 (-)356.53
(19) 16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औ.प्र. संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
मूल	2,126.47		
		995.54	392.32 (-)603.22
पुनर्वि०	(-1,130.93)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 1,130.93 लाख की कमी छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन में हुई बचत के कारण किए गए			
(20) 18 अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना			
मूल	302.18	302.18	146.70 (-)155.48

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
283 भवन			
(21) 02 अटल आवास योजना			
मूल	200.00	200.00	12.29 (-)187.71
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
02 रोजगार सेवाएं			
101 रोजगार सेवाएं			
(22) 02 शिक्षा एवं मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना			
मूल	92.80	92.80	54.37 (-)38.43
03 प्रशिक्षण			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(23) 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
मूल	109.69	109.69	29.47 (-)80.22
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(24) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	2,391.21	2,377.17	1,714.45 (-)662.72
पुनर्वि०	(-)14.04		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 14.04 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
102 बाल कल्याण			
(25) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,415.57	6,248.77	3,970.49 (-)2,278.28
पूरक	1,833.20		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 महिला कल्याण			
(26) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	5,485.46		
		5,360.17	(-)1,417.94
पुनर्वि०	(-)125.29		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 125.29 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए			
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(27) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	11,635.21		
		10,217.45	(-)3,420.74
पुनर्वि०	(-)1417.76		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 1,417.76 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(28) 03 किसान पेंशन योजना			
मूल	840.00	840.00	(-)455.39
2401 फसल कृषि कर्म			
<i>00</i>			
<i>001 निदेशन तथा प्रशासन</i>			
(29) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,200.31	4,200.31	(-)2,723.48
(30) 95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
मूल	460.14	460.14	(-)295.55
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(31) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,611.90	1,611.90	(-)742.37
(32) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	189.40	189.40	(-)92.80

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
114	तिलहन विकास			
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16.20	16.20	2.83
				(-)13.37
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(34)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,637.00		
			1,859.00	697.24
	पूरक	222.00		(-)1,161.76
(35)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	173.00		
			199.28	102.25
	पूरक	26.28		(-)97.03
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन			
	<i>01 वानिकी</i>			
	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
(36)	02 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण			
	मूल	233.11	233.11	183.60
				(-)49.51
	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(37)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	400.00	400.00	47.00
				(-)353.00
(38)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	40.00		
			30.32	5.22
	पुनर्वि०	(-)9.68		(-)25.10
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 4.50 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 5.18 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
	<i>02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव</i>			
	110 वन्य जीवन परीक्षण			
(39)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,28.00	2,28.00	1,92.57
				(-)35.43

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>04 वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</i>			
101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
(40) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	500.00		
	498.00	207.10	(-)290.90
पुनर्वि०	(-)2.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2022 को ₹ 2.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
2505 ग्राम रोजगार			
<i>02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</i>			
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
(41) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,050.00	4,050.00	1,836.76 (-)2,213.24
(42) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	472.50		
	1,232.50	612.25	(-)620.25
पूरक	760.00		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
<i>00</i>			
102 सामुदायिक विकास			
(43) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	15,655.83	15,655.83	7,783.59 (-)7,872.24
(44) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	1,826.51		
	2,093.17	1,564.47	(-)528.70
पूरक	266.66		
2701 मध्यम सिंचाई			
<i>80 सामान्य</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(45) 03 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य			
मूल	50.00	50.00	40.32 (-)9.68

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2810 नई और नवीकरणीय उर्जा

	00		
	800 अन्य व्यय		
(46)	02 सोलर एनर्जी		
	मूल	100.00	100.00
			76.54
			(-)23.46

3452 पर्यटन

	80 सामान्य		
	104 संवर्धन तथा प्रचार		
(47)	02 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना		
	मूल	250.00	250.00
			31.84
			(-)218.16

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	202.50	202.50
			0.00
			(-)202.50
(2)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	23.63	23.63
			0.00
			(-)23.63

2203 तकनीकी शिक्षा

	00			
	112 इंजीयरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(3)	03 पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	150.00	150.00	
			0.00	
			(-)150.00	
	वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(4)	04 इंजी0 कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायक अनुदान			
	मूल	10.00	10.00	
			0.00	
			(-)10.00	
	वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	400.00	400.00	0.00 (-)400.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(6) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	75.00	75.00	0.00 (-)75.00
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,850.00	5,850.00	0.00 (-)5,850.00
(8) 95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
मूल	680.00	680.00	0.00 (-)680.00
(9) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00
800 अन्य व्यय			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	225.00	225.00	0.00 (-)225.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(11)	06 राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड (50 प्रतिशत के0पो0)		
	मूल 36.06	36.06	0.00 (-)36.06
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
102 आर्थिक विकास			
(12)	04 अनुसूचित जाति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(13)	05 शिल्पी ग्राम योजना		
	मूल 25.00	25.00	0.00 (-)25.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
277 शिक्षा			
(14)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना		
	मूल 520.06	520.06	0.00 (-)520.06
(15)	20 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु संचालित सेमिनार/कार्यशाला/सर्वेक्षण/ शोध/प्रचार प्रसार		
	मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
793 अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता			
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 160.00	160.00	0.00 (-)160.00
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
<i>03 प्रशिक्षण</i>			
102 शिक्षता प्रशिक्षण			
(17)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 37.82	37.82	0.00 (-)37.82

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(18) 20 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप में दिव्यांगों उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान			
मूल	885.86	885.86	0.00 (-)885.86
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
102 बाल कल्याण			
(19) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	301.05		
		694.36	0.00 (-)694.36
पूरक	393.31		
2403 पशु पालन			
<i>00</i>			
101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
(20) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	383.45		
		390.94	0.00 (-)390.94
पूरक	7.49		
(21) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	44.92		
		146.09	0.00 (-)146.09
पूरक	101.17		
102 पशु तथा भैंस विकास			
(22) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	99.18		
		97.62	0.00 (-)97.62
पुनर्वि०	(-)1.56		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 1.56 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(23) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	45.00	45.00	0.00 (-)45.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(24) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	5.25	5.25	0.00 (-)5.25
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 वानिकी			
101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
(25) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	63.06	83.06	0.00 (-)83.06
पूरक	20.00		
(26) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	7.00	8.54	0.00 (-)8.54
पूरक	1.54		
2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल विकास			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(27) 04 बाढ़ सुरक्षा कार्यो हेतु			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

102 आर्थिक विकास

(1) 95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश

मूल 78.75

1,00.00 96.25 (-)3.75

पुनर्वि० 21.25

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 21.25 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

277 शिक्षा

(2) 19 पुस्तकालयों, छात्रावासों, पाठशालाओं हेतु सहायता

मूल 242.50

261.93 254.75 (-)7.18

पुनर्वि० 19.43

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 19.43 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(3) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 524.50

1,655.43 1,458.50 (-)196.93

पुनर्वि० 1,130.93

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 1,130.93 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>			
101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	449.00		
		1,866.76	1,797.76
पुनर्वि०	1,417.76		(-)69.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 1,417.76 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	112.76		
		252.09	232.54
पुनर्वि०	139.33		(-)19.55
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 139.93 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
<i>02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव</i>			
110 वन्य जीवन परीक्षण			
(6) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	18.40		
		28.08	21.16
पुनर्वि०	9.68		(-)6.92
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 4.50 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 5.18 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

	<i>04 वनीरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</i>		
101	राष्ट्रीय वनीरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास		
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	21.00	
		23.00	0.00
	पुनर्वि०	2.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2022 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 30,304.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 30,304.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 16,500.31 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	32,523.18	20,727.58	11,795.60
2017-18	30,623.93	24,435.21	6,188.72
2018-19	33,133.26	23,505.53	9,627.73
2019-20	32,665.51	23,800.03	8,865.48
2020-21	42,818.73	30,320.38	12,498.35

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

	4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	<i>01 सामान्य शिक्षा</i>		
	202 माध्यमिक शिक्षा		
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,000.00	
		5,000.00	1,261.60
	पूरक	3,000.00	(-)3,738.40

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 300.00	300.00	79.67 (-)220.33
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 200.00	800.00	140.18 (-)659.82
	पूरक 600.00		
	<i>04 कला और संस्कृति</i>		
	800 अन्य व्यय		
(4)	03 कला और संस्कृति का संवर्धन मूल 20.00	20.00	9.00 (-)11.00
	4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	<i>01 जल आपूर्ति</i>		
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति		
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 11,100.00	21,046.18	9,946.18 (-)11,100.00
	पूरक 9,946.18		
(6)	02 हैण्ड पम्पों की स्थापना मूल 430.00	430.00	27.11 (-)402.89
	<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>		
	106 मल जल सेवा		
(7)	01 केंद्रीय द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,800.00	1,800.00	408.79 (-)1,391.21
(8)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 210.00	210.00	45.42 (-)164.58

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(9) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	3,300.00		
		3,800.00	2,824.56
			(-)975.44
पूरक	500.00		
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04 नलकूपो का निर्माण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	100.00	100.00	80.63
			(-)19.37
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
101 सतही जल			
(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,992.50	2,992.50	28.39
			(-)2,964.11
4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
05 पारेषण एवं वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(12) 03 पिटकुल को आर.ई.सी. ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी			
मूल	600.00	600.00	200.00
			(-)400.00
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(13) 02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	6,340.00	6,340.00	3,693.57
			(-)2,646.43
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>			
104 बहुशिल्प			
(1)	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण		
	मूल	100.00	100.00
			0.00
			(-)100.00
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(2)	04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(3)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>			
102 खेलकूद स्टेडियम			
(4)	04 प्रादेशिक विकास दल		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ/प्राथमिक चिकित्सा पद्धति</i>			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(5)	04 अनावासीय भवनों का निर्माण		
	मूल	300.00	300.00
			0.00
			(-)300.00
4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
(6)	03 उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल आपूर्ति			
101 शहरी जल आपूर्ति			
(7) 05 शहरी पेय जल			
मूल	181.50	181.50	0.00 (-)181.50
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
051 निर्माण			
(8) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	2,000.00	2,000.00	0.00 (-)2,000.00
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(9) 03 स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर कैपिटल			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
277 शिक्षा			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	310.88	310.88	0.00 (-)310.88
(11) 05 अनुसूचित जाति के बालकों/बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण			
मूल	300.00	300.00	0.00 (-)300.00
वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(12) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	160.88	160.88	0.00 (-)160.88

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
102 बाल कल्याण			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	281.86	281.86
			0.00
			(-)281.86
	2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
101 सतही जल			
(14)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	349.13	349.13
			0.00
			(-)349.13
102 भूजल			
(15)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	100.00	100.00
			0.00
			(-)100.00
	2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
800 अन्य व्यय			
(16)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	200.00	
			0.00
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)200.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2021 को ₹ 200.00 लाख की कमी वृहद कार्य में हुई बचत के कारण किए गए		
4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>05 पारेषण एवं वितरण</i>			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(17)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं		
	मूल	500.00	500.00
			0.00
			(-)500.00
	वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	---------------------------------------

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

(18)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों/बस डीपो का निर्माण	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					

800 अन्य व्यय

(19)	03 देहरादून चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
------	---	-----	-------	-------	------	----------

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

(20)	104 संवर्द्धन तथा प्रचार 04 राज्य क्षेत्र	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
------	--	-----	--------	--------	------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 सतही जल

02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

		मूल	200.00	400.00	400.00	0.00
--	--	-----	--------	--------	--------	------

पुनर्वि० 200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2021 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि वृहद कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला तथा संस्कृति
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण
2217	शहरी विकास
2220	सूचना तथा प्रसार
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2401	फसल कृषि कर्म
2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन
2425	सहकारिता
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्रामीण रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
2701	मध्यम सिंचाई
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल विकास
2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
3452	पर्यटन

दत्तमत-

मूल	3,95,25,03			
		4,26,25,62	2,86,52,09	(-1,39,73,53
पूरक	31,00,59			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,19,30 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
----------------	------------	---------------	--

अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 5,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2022 को डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़े हैं |

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,48,05,08			
पूरक	66,02,15	2,14,07,23	1,19,18,13	(-)94,89,10
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2022)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 35,63,92 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हुई |

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 13,973.53लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 13,973.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 3,100.59 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	34,448.80	20,633.71	13,815.09
2017-18	31,542.40	22,508.42	9,033.98
2018-19	36,387.92	24,178.87	12,209.05
2019-20	38,432.74	23,902.84	14,529.90
2020-21	39,264.30	28,014.30	11,250.00

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

(1) 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता
02 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति
मूल 612.32 612.32 448.30 (-)164.02

(2) 112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम
01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 600.00
577.11 384.99 (-)192.12

पुनर्वि० (-)22.89

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 22.89 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए |

02 माध्यमिक शिक्षा

(3) 001 निदेशन तथा प्रशासन
02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना
मूल 212.18 212.18 161.47 (-)50.71

(4) 106 पुस्तकें
02 कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
मूल 70.00 70.00 52.13 (-)17.87

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
113 समग्र शिक्षा			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,867.18	1,867.18	732.10 (-)1,135.08
(6) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	217.84	217.84	81.34 (-)136.50
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,153.07		
पूरक	1,785.00	2,938.07	1,212.07 (-)1,726.00
(8) 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना मूल	344.26	344.26	255.45 (-)88.81
(9) 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल	55.59		
पुनर्वि०	12.50	68.09	48.51 (-)19.58
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 12.50 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	134.52		
पूरक	203.00	337.52	150.61 (-)186.91

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>			
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(11)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पी.पी.पी.		
	मूल 112.00		
		99.50	41.15 (-)58.35
	पुनर्वि० (-)12.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2022 को ₹ 12.50 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए		
2211 परिवार कल्याण			
<i>00</i>			
101 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 300.34	300.34	243.02 (-)57.32
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13)	02 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन		
	मूल 303.16		
		255.70	1.28 (-)254.42
	पुनर्वि० (-)47.46		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2022 को ₹ 6.85 लाख, दिनांक 06 जनवरी 2022 को ₹ 15.09 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 25.52 लाख की कमी वेतन, पारिश्रमिक तथा भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किए गए		
(14)	03 जनजाति कल्याण निदेशालय		
	मूल 214.97	214.97	181.07 (-)33.90
(15)	05 जनजातीय सलाहकार परिषद		
	मूल 31.16	31.16	18.86 (-)12.30

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(16)	06 जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय का संचालन मूल 48.62	49.12	6.73	(-)42.39
	पूरक 0.50			
(17)	102 आर्थिक विकास 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,620.00	419.25	180.65	(-)238.60
	पुनर्वि० (-)1,200.75			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 1,200.75 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(18)	06 बुक्सा और राजी जनजातियों का विकास मूल 100.00	25.00	21.71	(-)3.29
	पुनर्वि० (-)75.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 75.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(19)	277 शिक्षा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 2,184.05	3,857.46	2,371.54	(-)1,485.92
	पूरक 472.66			
	पुनर्वि० 1,200.75			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 1,200.75 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(20)	03 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और उसका रखरखाव मूल 251.52	251.52	142.54	(-)108.98

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	04 अनुसूचित जनजाति के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रखरखाव मूल 2,742.39 पुनर्वि० 25.52 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 25.52 लाख की वृद्धि मजदूरी एवं पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई	2,767.91	1,837.99	(-)929.92
(22)	05 कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और अनावर्ती सहायता मूल 350.00	350.00	12.55	(-)337.45
(23)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल 563.18 पुनर्वि० 6.85 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2022 को ₹ 6.85 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई	570.03	356.22	(-)213.81
(24)	07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों / छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालायों के लिए अनुदान मूल 1,005.00	1,005.00	891.69	(-)113.31
(25)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 231.00	231.00	54.90	(-)176.10
(26)	794 जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष सहायता 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 600.00	600.00	383.50	(-)216.50
(27)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 900.00	900.00	154.59	(-)745.41

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
	02 रोजगार सेवाएं			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(28)	02 कालसी देहरादून में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र			
	मूल	35.25	35.25	24.63 (-)10.62
	101 रोजगार सेवायें			
(29)	02 शिक्षण/मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना			
	मूल	44.13	44.13	18.89 (-)25.24
	03 प्रशिक्षण			
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(30)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना			
	मूल	20.88	20.88	5.70 (-)15.18
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण			
(31)	02 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान			
	मूल	475.00		
	पुनर्वि०	(-)4.45	470.55	300.62 (-)169.93
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2021 को ₹ 4.45 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई			
	102 बाल कल्याण			
(32)	95 केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
	मूल	125.04	125.04	39.29 (-)85.75
	103 महिला कल्याण			
(33)	02 निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान			
	मूल	868.00		
	पुनर्वि०	(-)54.51	813.49	593.20 (-)220.29
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 54.51 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गई			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(34) 02 वृद्धावस्था पेंशन			
मूल	2,527.00		
		2,178.93	(-)755.39
पुनर्वि०	(-)348.07		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 348.07 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गई			
200 अन्य कार्यक्रम			
(35) 02 किसान पेंशन योजना			
मूल	125.00	125.00	(-)53.57
03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(36) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	70.95		
		270.95	(-)171.46
पूरक	200.00		
2401 फसल कृषि कर्म			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(37) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	888.31	888.31	(-)670.98
(38) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
मूल	97.84		
		84.15	(-)60.01
पुनर्वि०	(-)13.69		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 13.69 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई			
119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(39) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	190.00		
		212.00	(-)140.16
पूरक	22.00		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(40)	16 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना मूल	110.00	110.00	54.00 (-)56.00
(41)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	22.01		
	पूरक	14.45	36.46	13.99 (-)22.47
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन				
<i>01 वानिकी</i>				
102 समाज तथा फार्म वानिकी				
(42)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	180.00	180.00	7.25 (-)172.75
(43)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	21.00		
	पुनर्वि०	(-9.51)	11.49	0.81 (-)10.68
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 5.72 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 3.79 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई				
<i>02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव</i>				
110 वन्य जीवन परीक्षण				
(44)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	230.00	230.00	91.87 (-)138.13
2505 ग्रामीण रोजगार				
<i>02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</i>				
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
(45)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	831.38		
	पुनर्वि०	(-381.25)	450.13	386.69 (-)63.44
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 381.25 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	--	------------	---------------	---------------------------------------

(46)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल 290.98	279.87	128.90	(-)150.97
	पुनर्वि० (-)11.11			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 11.11 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

103 हथकरघा उद्योग

(47) 05 थारू, बुक्सा एवं अन्य जनजातियों के महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना

मूल	50.00	50.00	11.57	(-)38.43
-----	-------	-------	-------	----------

3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(48) 02 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

मूल	200.00	200.00	80.57	(-)119.43
-----	--------	--------	-------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

103 राजकीय कालेज तथा संस्थान

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	101.70	101.70	0.00	(-)101.70
-----	--------	--------	------	-----------

(2) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल	11.87	11.87	0.00	(-)11.87
-----	-------	-------	------	----------

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश मूल	189.00	189.00	0.00 (-)189.00
277 शिक्षा			
(10) 09 इंजीनियरिंग और मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना मूल	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 50.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(11) 10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवाएँ हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग मूल	70.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)70.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 70.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए			
(12) 11 बुक्सा जनजाति के लिए महाराजा जगत देव शिक्षा कोष मूल	30.00	9.50	0.00 (-)9.50
पुनर्वि०	(-)20.50		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को ₹ 20.50 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(13) 12 थारू जनजातियों के लिए चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	283 भवन			
(14)	02 अटल आवास योजना			
	मूल	150.00	150.00	0.00
				(-)150.00
	2230 श्रम रोजगार एवं कौशल विकास			
	03 प्रशिक्षण			
	102 शिक्षता प्रशिक्षण			
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	15.75	15.75	0.00
				(-)15.75
	2403 पशु पालन			
	00			
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	192.26		
			200.26	0.00
				(-)200.26
	प्रक	8.00		
(17)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	24.30		
			80.02	0.00
				(-)80.02
	प्रक	55.72		
	102 पशु तथा भैंस विकास			
(18)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	51.30		
			50.57	0.00
				(-)50.57
	पुनर्वि०	(-)0.73		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 0.73 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास

80 सामान्य

103 सिविल निर्माण कार्य

(19) 03 अनुरक्षण

मूल 300.00

20.00 0.00 (-)20.00

पुनर्वि० (-)280.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को ₹ 280.00 लाख की कमी लघु कार्य में हुई बचत के कारण किए गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(1) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 66.73

89.62 89.62 0.00

पुनर्वि० 22.89

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 22.89 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 04 उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान

मूल 72.75

87.84 75.28 (-)12.56

पुनर्वि० 15.09

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2022 को ₹ 15.09 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>			
101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	103.69	
		451.76	436.01 (-)15.75
	पुनर्वि०	348.07	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 348.07 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	73.88	
		1,32.84	99.92 (-)32.92
	पुनर्वि०	58.96	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 को ₹ 58.96 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
2401 फसल कृषि कर्म			
<i>00</i>			
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(5)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश		
	मूल	31.09	
		44.78	42.99 (-)1.79
	पुनर्वि०	13.69	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को ₹ 13.96 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
2403 पशु पालन				
00				
102 पशु तथा भैंस विकास				
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	5.99		
		6.72	6.64	(-)0.08
	पुनर्वि०	0.73		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 को ₹ 0.73 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन				
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव				
110 वन्य जीवन परीक्षण				
(7)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	8.01		
		17.52	14.56	(-)2.96
	पुनर्वि०	9.51		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को ₹ 5.72 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2022 को ₹ 3.79 लाख की वृद्धि मजदूरी तथा अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम				
003 प्रशिक्षण				
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,911.90		
		2,554.75	2,090.81	(-)463.94
	पुनर्वि०	642.85		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2022 को ₹ 179.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 463.85 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

102 सामुदायिक विकास

(9) 95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश

मूल 462.00

474.90 474.90 0.00

पुनर्वि० 12.90

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2022 को ₹ 12.90 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास

01 बाढ़ नियंत्रण

103 सिविल निर्माण कार्य

(10) 02 बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु

मूल 20.00

300.00 290.71 (-)9.29

पुनर्वि० 280.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को ₹ 280.00 लाख की वृद्धि लघु कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (8) एवं (10) पर प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात बचत का प्राप्त होना बजट प्रावधान के त्रुटीपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 9,489.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) ₹ 9,489.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2021 तथा दिसम्बर 2021 को प्राप्त ₹ 6,602.15 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2016-17	11,911.78	5,927.08	5,984.70
2017-18	10,916.63	7,251.67	3,664.96
2018-19	15,117.59	9,709.35	5,408.24
2019-20	13,221.59	9,777.38	3,444.21
2020-21	15,766.54	8,589.47	7,177.07

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	720.00			
	पूरक	4,777.42	5,497.42	3,507.01	(-1,990.41)
(2)	02 माध्यमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार				
	मूल	250.00	250.00	113.53	(-136.47)
(3)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश				
	मूल	84.00			
	पूरक	80.00	164.00	25.51	(-138.49)
(4)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा				
	03 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास/भवनों का निर्माण				
	मूल	350.00	350.00	24.56	(-325.44)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल आपूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,491.38		
			3,806.11	
	पूरक	1,314.73	1,314.73	(-),2,491.38
(6)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	290.66		
			436.66	
	पूरक	146.00	292.16	(-),144.50
	02 मल-जल तथा सफाई			
	106 मल जल सेवा			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	568.80		
			568.80	
	पूरक		54.16	(-),514.64
(8)	95 केंद्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	66.36		
			66.36	
	पूरक		6.02	(-),60.34
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
(9)	05 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास में बेसिक सुविधाओं में सुधार			
	मूल	100.00		
			100.00	
	पूरक		43.37	(-),56.63
(10)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मौलिक सुविधाएं			
	मूल	100.00		
			100.00	
	पूरक		20.69	(-),79.31
	800 अन्य व्यय			
(11)	03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मौलिक सुविधाओं का विकास			
	मूल	450.00		
			450.00	
	पूरक		275.38	(-),174.62

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12)	03 मेरा गाँव, मेरी सड़क			
	मूल	200.00	200.00	129.65 (-)70.35
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13)	02 नलकूपों में निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	120.00 (-)80.00
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(14)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	270.00	270.00	33.67 (-)236.33
	4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(15)	05 पिटकुल को आर.ई.सी. ऋण के सापेक्ष अंशपूँजी			
	मूल	200.00	200.00	100.00 (-)100.00
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(16)	03 चालु निर्माण कार्य			
	मूल	4,500.00	4,500.00	2,999.23 (-)1,500.77
(17)	04 पुल/सड़क/भवन आदि हेतु भूमि अधिग्रहण			
	मूल	270.00	270.00	73.36 (-)196.64

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

800 अन्य व्यय

(18)	03 देहरादून चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण				
	मूल	15.00	15.00	6.57	(-)8.43

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

02 तकनीकी शिक्षा

104 बहुशिल्प

(1)	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

(2)	03 इंजीनियरिंग कॉलेज घुडदौड़ी, पौड़ी को सहायक अनुदान				
	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

04 कला और संस्कृति

800 अन्य व्यय

(3)	02 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जनमिलन केन्द्रों / सांस्कृतिक भवनों का निर्माण				
	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
(₹ लाख में)				
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल आपूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(4)	02 हैण्ड पम्पों की स्थापना			
	मूल	110.00	110.00	0.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	(-)110.00			
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(5)	03 स्वरोजगार शेयर कैपिटल (49 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)			
	मूल	30.00	30.00	0.00
	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	(-)30.00			
800	अन्य व्यय			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	9.00	9.00	0.00
	वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	(-)9.00			
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(7)	02 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आधिक्य व्यय का भुगतान			
	मूल	205.02	205.02	0.00
	(-)205.02			
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(8)	95 केन्द्रीय योजना में राज्य का अंश			
	मूल	31.50	31.50	0.00
	(-)31.50			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 भूजल			
(9) 03 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(10) 03 सिविल निर्माण कार्य			
मूल	250.00	250.00	0.00 (-)250.00
4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
05 पारिषण एवं वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(11) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	115.74	115.74	0.00 (-)115.74
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(12) 02 नया निर्माण कार्य			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(13) 03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को बस स्टैण्ड निर्माण हेतु सहायता अनुदान			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(14)	02 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	200.00	200.00	0.00 (-)200.00

(15)	04 राज्य क्षेत्र			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2022) |

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2021-2022 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	07	2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं	11,77,92
2	07	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16,64,00
3	09	2051- लोक सेवा आयोग	6,65,31
4	09	2051- लोक सेवा आयोग	10,00,00
5	10	2055- पुलिस	37,29,00
6	10	2056- जेल	7,17,65
7	11	2202- सामान्य शिक्षा	1,01,89
8	11	2203- तकनिकी शिक्षा	4,20,75
9	12	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	86,87
10	15	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	32,10
11	15	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	15,75,99
12	17	2401- फसल कृषि-कर्म	5,99,98
13	17	4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	5,00,00
14	19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	76,77,99
15	24	7055- सड़क परिवहन के लिए कर्ज	12,47,00
योग			2,11,96,45

परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण |

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व	पूंजीगत (₹ हजार में)
1	17- कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	...		20,00,00
2	18- सहकारिता
3	25- खाद्य	...		5,12,00,00
4	29- औद्योगिक विकास	...		8,50,00
	योग	...		5,40,50,00

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूँजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूँजीगत
...	27,78,68	...	(+)7,78,68
...	5,50	...	(+)5,50
...	18,69,64	...	(-)4,93,30,36
...	7,76,26	...	(-)73,74
...	54,30,08	...	(-)4,86,19,92

परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (x), अनुदान-20]

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2021-22	31 मार्च 2022 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(+)8,320.70	(+)8,320.70
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)7.88	(-)7.88
कार्यशाला उचंत	(+)436.51	(+)436.51
योग	(+)8,749.33	(+)8,749.33
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (x), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजीगत प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2021-22	31 मार्च 2022 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)26,861.41	(+)26,861.41
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)6,106.76	(+)6,106.76
योग	(+)32,968.17	(+)32,968.17
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-)7.82	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
योग	(-)7.82	(-)7.82
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)513.95	(+)513.95
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	(-)13.66
कार्यशाला उचंत
योग	(+)500.29	(+)500.29

परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xii), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2021-22	31 मार्च 2022 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+) 15,673.71	(+) 15,673.71
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 26,276.51	(+) 26,276.51
योग	(+) 41,950.22	(+) 41,950.22

© COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL OF INDIA
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi>

Printed by: Censer Advertising Pvt Ltd. (M) 9810213218